मुख्य बातें

लेखापरीक्षा में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के प्रयोग की जांच करने और कर की प्रभावी दर एवं कर व्यय को निर्धारित करने तथा उन क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों द्वारा स्वैच्छिक कर अनुपालना के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर, आटोमोबाइल्स तथा अनुषंगी, इस्पात तथा व्यापार के चयनित क्षेत्रों से संबंधित 909, 1001 तथा 1050 कम्पनियों के निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 से सम्बन्धित निर्धारणों की समीक्षा की गई।

(पैरा 1.5.1)

अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित चयनित कम्पनियों के कर की प्रभावी दर निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान क्रमशः 20 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 17 प्रतिशत अनुमानित की गई।

(पैरा 1.5.4)

निर्धारण वर्षों 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित चयनित कम्पनियों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत सभी लाभों के संबंध में कर व्यय क्रमशः 915.3 करोड़ रूपये, 768.7 करोड़ रूपये तथा 2287.6 करोड़ रूपये थे।

(पैरा 1.5.5)

अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित चयनित कम्पनियों की स्वैच्छिक अनुपालना विचाराधीन अवधि के दौरान सुधर गई है। इसके अलावा स्वैच्छिक अनुपालना उन कम्पनियों के संबंध में उच्च है जिन्होंने विचाराधीन सभी तीन वर्षों में लाभ दर्शाया और उन कम्पनियों, जिन्होंने तीन वर्षों में केवल एक या दो वर्षों में लाभ दर्शाया है, की तुलना में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित की गईं।

(पैरा 1.5.11)

65 मामलों में मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 369.03 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एकल मामले में **मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड** को अनुमत मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 261.13 करोड रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 1.5.32 एवं 1.5.32.1)

73 मामलों में धारा 10 ए एवं 10 बी के अधीन अनुमत अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 278.75 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एकल मामले में एक साफ्टवेयर कम्पनी **मै. जी टी एल लिमिटेड** को अनुमत छूट के परिणामस्वरूप 104.84 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 1.5.19 एवं 1.5.20.1)

35 मामलों में अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अधीन खाता लाभ की संगणना में चूक के परिणामस्वरूप 200.03 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एकल मामले में अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अधीन अनियमित कर क्रेडिट **मै. टाटा स्टील लिमिटेड** को दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 69.64 करोड़ रूपये का कर प्रभाव हुआ।

(पैरा 1.5.30 एवं 1.5.30.2)

95 मामलों में कारबार आय की संगणना में चूक के परिणामस्वरूप 148.12 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। **मै. इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड** के मामले में आय की संगणना में चूक के परिणामस्वरूप 41.41 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 1.5.27 एवं 1.5.27.1)

47 मामलों में अधिनियम के अध्याय VI ए के अधीन अनुमत व्यय की गलत कटौती के परिणामस्वरूप 167.75 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। **मै. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड** के मामले में अध्याय VI ए कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 19.90 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 1.5.26 एवं 1.5.26.3)

76 मामलों में प्रावधानों तथा देयताओं की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 165.48 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। **मै. डाटा एक्सेस (इण्डिया) लिमिटेड** के एक मात्र मामले में अभिनिश्चित देयताओं की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 61.48 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 1.5.28 एवं 1.5.28.1)

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि कम्पनियों के लाभ प्रतिमान में अन्तर/अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अधीन निर्धारण को संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करते समय अधिक वरीयता दी जानी चाहिए।

(पैरा 1.6.7)

सभी चार चयनित क्षेत्रों को साथ साथ लेकर मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति में अधिकतम कर प्रभाव देखा गया है। लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन से संबंधित दावों को अन्तिम उपलब्ध निर्धारण अभिलेखों के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि समंजन की सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 1.6.12)

सरकार को राजस्व हानि की प्रमात्रा को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि विभाग का आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ किया जाय ताकि बेहतर मानीटरन तथा अभिलेखों का मिलान, निर्धारण अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार तथा उच्च गुणवत्ता निर्धारण हो सकें।

(पैरा 1.6.13)

"चयनित क्षेत्रों -कम्प्यूटर साफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स तथा अनुषंगियों, इस्पात तथा व्यापार में चयनित कम्पनियों के निर्धारण पर समीक्षा

1.1 प्रस्तावना

चार क्षेत्रों (नीचे दिये गए विवरण के अनुसार) जो कि देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, से सम्बन्धित कम्पनियों के प्रत्यक्ष करों, निगम कर निर्धारणों के रूप में राजस्व को महत्वपूर्ण योगदान की जांच के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों को सकेंद्रित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुना गयाः-

- कम्प्यूटर साफ्टवेयर (बड़ा,मध्यम/लघु)
- ऑटोबोबाइल्स (एल सी वी/एच सी पी, कारें, मोपेड, स्कूटर, ट्रैक्टर्स) अनुषंगियों (शीट मैटल, एक्सल, ब्रेक, व्हील ग्रेयर तथा शॉक आब्जवर्स) सहित
- इस्पात (बड़ा मध्यम/लघु)
- व्यापार (बडा, मध्यम/लघु)

उपर्युक्त क्षेत्रों की पहचान डाटाबेस (कैपिटलाइन प्लस) का उपयोग करके वर्ष 2004 के दौरान बिक्री पण्यावर्त निवल लाभ, घोषित लाभांश तथा प्रदत्त कर के अनुसार दर्ज की गई महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर की गई।

1.2 विधि एवं क्रियाविधि

आयकर, निर्धारण वर्ष के लिए लागू कर दरों पर अगले निर्धारण वर्ष में प्रभारित पिछले वर्ष की आय पर एक वार्षिक कर है। वार्षिक वित्त अधिनियम कर दरें निर्धारित करता है। चयनित क्षेत्रों के भीतर कम्पनियों के निर्धारण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) अथवा धन कर अधिनियम, 1957 में कोई विशेष प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है तथा अधिनियमों के सारे प्रावधान तत्रैव उन हस्तिओं पर लागू होते हैं। अधिनियम की अनुप्रयोगता पर विचार करते हुए उनके कुछ प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया हैः-

1.2.1 धारा 10 ए तथा 10 बी के अन्तर्गत छूट

धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट ऐसे लाभों तथा अभिलाभों की छूट से सम्बन्धित है जो कि एक उपक्रम द्वारा वस्तुओं अथवा सामान अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्राप्त होती है तथा धारा 10 बी के अन्तर्गत छूट ऐसे लाभों तथा अभिलाभों से सम्बन्धित है जो वस्तुओं अथवा सामान अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा प्राप्त होती है। ये प्रावधान निर्धारण वर्ष (ए वाई) जिसके दौरान विनिर्माण/उत्पादन आरम्भ होता है, के आरम्भ से निरन्तर 10 वर्ष की अवधि के लिए पूरी कर छूट के लिए व्यवस्था करते हैं।

1.2.2 तारीखें जिनसे एक औद्योगिक उपक्रम, जिसने किसी वस्तु अथवा सामान अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर विनिर्माण/उत्पादन आरम्भ किया अथवा करता है, द्वारा प्राप्त लाभों तथा अभिलाभों के सम्बन्ध में छूटें नीचे दी गई हैं:-

अवस्थिति	निम्न से प्रभावी
मुक्त व्यापार क्षेत्र	निर्धारण वर्ष 1981-82 अथवा बाद का निर्धारण वर्ष
इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर/साफ्टवेयर टैक्नालॉजी पार्क	निर्धारण वर्ष 1994-95 अथवा बाद का निर्धारण वर्ष
विशेष आर्थिक क्षेत्र	निर्धारण वर्ष 2001-02 अथवा बाद का निर्धारण वर्ष

1.2.3 100 प्रतिशत ई ओ यू (निर्यातोन्मुख इकाई) द्वारा प्राप्त लाभों तथा अभिलाभों के सम्बन्ध में एक इकाई को औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत 100 प्रतिशत ई ओ यू के रूप में अनुमोदित करना होता है।

- निर्धारण वर्ष 2001-02 से धारा 10 ए तथा 10 बी के अन्तर्गत छूट तभी मिलेगी जब यह दावे की सत्यता प्रमाणित करने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सनदी लेखाकार से फार्म 56 एफ में एक प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो।
- निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए छूट लाभ के 90 प्रतिशत तक सीमित होगी।
- उसी निर्धारण वर्ष अथवा किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत उसी लाभ के सम्बन्ध में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- कर अवकाश अथवा कर अवकाश के पश्चात् की अवधि के दौरान किसी भी तरह धारा 80-1ए, 80 1 बी के अन्तर्गत कटौती/छूट लागू नहीं होगी।
- निर्धारण वर्ष 2000-01 अथवा पहले के निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर अनवशोषित मूल्यह्रास, अनवशोषित पूंजीगत व्यय तथा धारा 72(1), 74(1) अथवा 74(3) के अन्तर्गत हानियां अग्रेनीत तथा समंजित नहीं की जाएंगी।
- स्वामित्व के हस्तान्तरण अथवा लाभकारी स्वामित्व के परिवर्तन के मामले में ऐसे परिवर्तन के निर्धारण वर्ष से धारा 10 ए तथा 10 बी के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
- धारा 10 ए अथवा 10 बी के अन्तर्गत लाभ वैकल्पिक हैं, तथापि, जहां पर निर्धारिती लाभ न लेने की इच्छा रखता हो, वहां पर उसे आरम्भिक निर्धारण वर्ष के दौरान 10 ए अथवा 10 बी के अन्तर्गत विकल्प देना था।

1.2.4 अध्याय VI ए कटौतियां

धारा 80 ए से 80 यू तक के अधीन कटौतियां अधिनियम के अध्याय VI ए में अन्तर्विष्ट हैं।

1.2.5 धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से लाभ को छूट

इन प्रावधानों में कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास अथवा मे उत्पादन के सम्बन्ध में भारत से बाहर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात अथवा इसके संचरण अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त लाभ को छूट की व्यवस्था है।

- निर्धारण वर्ष 2000-01 तक लाभ का 100 प्रतिशत; निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए 80 प्रतिशत, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए 70 प्रतिशत, निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए 50

प्रतिशत, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए 30 प्रतिशत तथा निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए 0 प्रतिशत।

- "निर्यात पण्यावर्त" समय सीमा के भीतर भारत में प्राप्त परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा, जैसे कि भाड़े की राशि, दूरसंचार प्रभार अथवा भारत से बाहर कम्प्यूटर सेवाओं की सपुर्दगी के कारण बीमा, तथा भारत से बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में किये गए व्यय को घटा कर बनी राशि होगी।
- 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती तभी दी जाएगी जब यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सनदी लेखाकार से फार्म 10 सी सी ए एफ में प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो।
- उसी अथवा किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभ के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

1.2.6 धारा 80 एच एच सी अन्तर्गत कटौती

विशेष फार्मूले के अनुसार विशेष माल अथवा सौदे के निर्यातकों को विशेष कटौती की अनुमति है।

- कटौती (i) निर्धारण वर्ष 2000-01 तक लाभ के 100 प्रतिशत (ii) निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए 80 प्रतिशत, (iii) निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए 70 प्रतिशत (iv) निर्धारण वर्ष 2003-04 केलिए 50 प्रतिशत तथा (v) निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए 30 प्रतिशत होगी।
- निर्धारण वर्ष 2005-06 से इस धारा के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं होगी।
- कटौती तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक फार्म 10 सी सी ए सी में लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित न हो।

1.2.7 धारा 80 आई बी के अन्तर्गत कटौती

धारा 80 आई बी, वस्तु अथवा सामान, जिनका उल्लेख ग्यारहवीं अनुसूची में नहीं किया गया है, के विनिर्माण/उत्पादन में लगे औद्योगिक उपक्रमों के लाभ तथा अभिलाभ पर 30 प्रतिशत कटौती की व्यवस्था करती है बशर्ते कि यह नया उपक्रम हो तथा यह तोड़ कर अथवा कारबार के पुनर्निर्माण अथवा उपयोग किये गए संयंत्र अथवा मशीनरी के हस्तान्तरण द्वारा न बना हो तथा नये उपक्रम ने 1 अप्रेल 1991 तथा 31 मार्च 1995 तक की अवधि के दौरान वस्तु अथवा सामान का विनिर्माण प्रारम्भ किया हो। कटौती निर्धारण वर्ष जिसमें उत्पादन अथवा विनिर्माण प्रारम्भ किया हो से आरम्भ हो कर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए है।

1.2.8 धारा 32 के अन्तर्गत मूल्यह्रास

मूर्त परिसम्पत्तियों/अमूर्त परिसम्पत्तियों, जानकारी, पेटेन्ट, स्वत्वाधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेन्चाइजी अथवा 1 अप्रैल 1998 को अथवा उसके पश्चात् अधिप्राप्त उसी स्वरूप के अन्य कारबार अथवा वाणिज्यिक अधिकारों पर शर्त, कि परिसम्पत्ति निर्धारिती के पूर्णतया अथवा अशंतः स्वामित्व में है, कारबार के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई है तथा सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई है, पूरी होने पर निर्धारित दर पर मूल्यह्रास मान्य है।

- अमूर्त परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास धारा 35 ए/35 ए बी के अन्तर्गत कटौती के बदले मान्य है।
- 1 अप्रैल 2002 से मूल्यह्रास का दावा तथा अनुमति अनिवार्य है।

1.2.9 धारा 36

यह धारा कर्मचारियों को बोनस, स्टॉक/भण्डार के बीमा, अनुमोदित उपदान निधि में अंशदान, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, कारबार के प्रयोजन के लिए उधार ली गई पूंजी के सम्बन्ध में विभिन्न व्ययों की कटौती की व्यवस्था करती है। कटौती की ग्राह्यता धारा 43 बी में उल्लिखित शर्तें पूरी हाने पर होती है।

1.2.10 धारा 115 जे बी

निर्धारण वर्ष 2001-02 से, जब एक कम्पनी की कुल आय पर देय आयकर, जैसाकि सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित किया गया हो, इसके खाता लाभ के 7.5 प्रतिशत से कम हो तो ऐसा खाता लाभ निर्धारिती की कुल आय माना जाएगा तथा ऐसी कुल आय पर देय कर खाता लाभ के 7.5 प्रतिशत अथवा कुल आय पर संगणित आयकर की राशि होगा। खाता लाभ का अर्थ अधिनियम में यथानिर्धारित कुछ समायोजन करने के पश्चात् कम्पनी अधिनियम 1996 की अनुसूची VI के भाग II तथा III के प्रावधानों के अनुसार तैयार लाभ तथा हानि लेखे में दर्शाये गये निवल लाभ से है।

1.3 समीक्षा का उद्देश्य

1.3.1 समीक्षा निम्न की जांच की कोशिस हैः

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुप्रयोग की शुद्वता
- उपर्युक्त क्षेत्रों में चयनित कम्पनियों के निर्धारण में चूकों और गलतियों के कारण राजस्व की हानि अथवा कम निर्धारण की मात्रा।

1.3.2 निम्न के लिए भी एक प्रयास किया गया है

- समीक्षा के लिए चयनित कम्पनियों के संबंध में कर की प्रभावी दर तथा कर व्यय निर्धारित करना
- उपर्युक्त क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों द्वारा स्वैच्छिक कर अनुपालना की सीमा दर्शाना।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा लेखापरीक्षा क्षेत्र

1.4.1 एक डाटाबेस, नामतः "कैपिटलाइन प्लस " बाजार से खरीदा गया तथा इस समीक्षा के लिए उपयोग में लाया गया। 12000 कम्पनियों वाले 313 क्षेत्रों में से वर्ष 2004 के दौरान सकल बिक्री की उच्च मात्रा के आधार पर 50 क्षेत्रों को चुना गया। वर्ष 2004 के दौरान बिक्री की वृद्धि दर के अतिरिक्त क्षेत्रों के मूल्य, वर्षीकृत लाभांश, कर पूर्व लाभ की वृद्धि दर तथा कर की वृद्धि दर के आधार पर इन 50 क्षेत्रों में से चार क्षेत्र नामतः कम्प्यूटर साफ्टवेयर, अनुंषगियों सहित आटोमोबाइल, इस्पात तथा व्यापार चुने गए। वर्ष 2004 के दौरान इन उपर्युक्त चार क्षेत्रों में से 25 लाख रूपये से अधिक कर पूर्व लाभ वाली 529 कम्पनियों की सूची तैयार की गई जिनके निर्धारणों की समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा जांच की गई थी। उपर्युक्त कम्पनियों के अतिरिक्त,

उपर्युक्त चार क्षेत्रों में हानि/शून्य आय के साथ को शामिल करके 5 करोड़ रूपये से कम न होने वाली बिक्री पण्यावर्त वाली अन्य कम्पनियों के निर्धारणों को भी समीक्षा के उद्देश्य से चुना गया।

1.4.2 मार्च 2006 तक पूर्ण हुए निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के लिए कम्पनियों के आय कर निर्धारणों को समीक्षा में शामिल किया गया है। जहां कहीं भी अनियमितताओं के मामले ध्यान में आये वहाँ उपलब्ध करावाये जाने पर पिछले वर्षों के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की गई है।

1.4.3 जुलाई 2006 से अगस्त 2006 तक की अवधि के दौरान महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा/प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों द्वारा संबंधित मुख्य आयकर आयुक्तों/महानिदेशक आयकर (जांच) को मसौदा समीक्षा रिपोर्ट जिसमें टिप्पणियां शामिल है, की प्रतियां जारी की गईं।

1.4.4 समेकित मसौदा समीक्षा रिपोर्ट नवम्बर 2006 में मंत्रालय को जारी की गई। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय और बोर्ड के बीच एक समापन सम्मेलन जनवरी 2007 में आयोजित किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.5.1 कर तथा कर व्यय की प्रभावी दरः निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 से सम्बन्धित तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स तथा इसकी अनुंषगियों इस्पात तथा व्यापार से सम्बन्धित क्रमशः 909 कम्पनियों, 1001 कम्पनियों तथा 1050 कम्पनियों के निर्धारण अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई। सभी चारों क्षेत्रों से सम्बन्धित इन कम्पनियों के सम्बन्ध में विभाग के अनुसार कुल कर मांग निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान क्रमशः 1671.85 करोड़ रूपये 3685.06 करोड़ रूपये तथा 3824.37 करोड़ थी। इन कम्पनियों की कुल कर मांग भारत में संग्रहीत कुल निगम कर की प्रतिशतता के रूप में 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के निर्धारण वर्षों के लिए सुसंगत पूर्व वर्षों में क्रमशः 4.57, 7.98 तथा 6.02 थी। विवरण **परिशिष्ट 1** में दिये गए हैं।

1.5.2 लेखापरीक्षा ने प्रपत्र का आविष्कार किया तथा समीक्षा करते समय उपर्युक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित चयनित कम्पनियों के सम्बन्ध में डाटा एकत्रित किया **(परिशिष्ट 2)**। लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार कम्पनियों के निवल लाभ तथा लेखापरीक्षा द्वारा यथा निर्धारित उनकी कर योग्य आय के बीच में अन्तर को अधिनियम के अन्तर्गत चयनित कम्पनियों द्वारा ली गई कुल कटौतियों के रूप में माना गया है। निगम कर दर द्वारा गुणा की गई यह राशि "कर व्यय" अथवा अधिनियम के अन्तर्गत इन कम्पनियों को ये रिआयतें देने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व के रूप में मानी गयी है। लाभ तथा हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक देय कर उपर्युक्त चार क्षेत्रों में इन कम्पनियों के सम्बन्ध में कर की प्रभावी दर के रूप में माना गया है। यह विश्लेषण इन क्षेत्रों में उन कम्पनियों तक सीमित है जिनकी आय अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। इस विश्लेषण के लिए शून्य आय अथवा हानि वाली कम्पनियों अथवा जिनका निर्धारण अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, से सम्बन्धित आंकड़े तक सीमित है तथा लेखापरीक्षक के कर परिकलन से शास्तिक ब्याज अथवा शास्ति आदि से सम्बन्धित राशि को डाटा से हटा दिया गया है।

1.5.3 विचाराधीन किसी अथवा सभी वर्षों में लाभ वाली चार चयनित क्षेत्रों से सम्बन्धित चयनित कम्पनियों में से कुल 664 कम्पनियों, 775 कम्पनियों तथा 852 कम्पनियों का निर्धारण अधिनियम

के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया था। शेष कम्पनीयां या तो शून्य आय अथवा हानि उठाने वाली कम्पनियां थीं अथवा अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई थीं। विवरण **परिशिष्ट-2** में दिये गए हैं।

1.5.4 इन कम्पनियों ने 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के निर्धारण वर्षों में कर पूर्व निवल लाभ के रूप में 7836.40 करोड़ रूपये, 9489.7 करोड़ रूपये तथा 17712.5 करोड़ रूपये सूचित किया है तथा विभाग ने इनकी कर योग्य आय क्रमशः 4709.2 करोड़ रूपये 6856.0 करोड़ रूपये तथा 8684.6 करोड़ रूपये निर्धारित की है। इन निर्धारण वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा यथा अवधारित कर योग्य आय क्रमशः 5221.3 करोड़ रूपये, 7293.3 करोड़ रूपये तथा 11176.4 करोड़ रूपये थी। गणक के रूप में विभाग के अनुसार कर मांग पर विचार करते हुए चारों चयनित क्षेत्रों की उपर्युक्त कम्पनियों के कर* की प्रभावी दरें 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के निर्धारण वर्षों में क्रमशः 20 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत अनुमानित की गई थीं। गणक के रूप में लेखापरीक्षा के अनुसार देय कर मांग लेकर सभी चार चयनित क्षेत्रों की उपर्युक्त कम्पनियों की कर की प्रभावी दरें उसी अवधि के दौरान क्रमशः 23 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत अनुमानित की गई थीं।

1.5.5 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के निर्धारण वर्षों के लिए इन कम्पनियों के लिए अधिनियम के सभी प्रावधानों के सम्बन्ध में कर व्यय क्रमशः 915.3 करोड़ रूपये, 768.7 करोड़ रूपये तथा 2287.6 करोड़ रूपये था। इसी अवधि के दौरान इन कम्पनियों के लिए अधिनियम के अध्याय VI ए से सम्बन्धित कटौतियों के सम्बन्ध में कर व्यय क्रमशः 235.6 करोड़ रूपये, 228.7 करोड़ रूपये तथा 302.7 करोड़ रूपये था। उसी अवधि के दौरान चयनित कम्पनियों के लिए अधिनियम के अध्याय VI ए कटौतियों के अतिरिक्त कटौतियों के सम्बन्ध में कर व्यय क्रमशः 679.7 करोड़ रूपये, 540.0 करोड़ रूपये तथा 1984.9 करोड़ रूपये था।

1.5.6 विचाराधीन सभी वर्षों में कुल 400 कम्पनियों ने लाभ घोषित किया और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं। गणक के रूप में विभाग के अनुसार कर मांग पर विचार करते हुए सभी चार चयनित क्षेत्रों की उपर्युक्त कम्पनियों के कर की प्रभावी दरें निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में क्रमशः 23 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अनुमानित की गईं। गणक के रूप में लेखापरीक्षा के अनुसार देय कर मांग को लेकर सभी चार चयनित क्षेत्रों की उपर्युक्त कम्पनियों के कर की प्रभावी दरें उसी अवधि के दौरान क्रमशः 24 प्रतिशत, 32 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत अनुमानित की गईं।

1.5.7 विचाराधीन किसी एक या दो वर्षों में लाभ वाली सभी चार चयनित क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 264 कम्पनियां, 375 कम्पनियां तथा 452 कम्पनियां अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं। अन्य वर्ष (वर्षों) में इन कम्पनियों ने या तो हानि/शून्य आय दर्शाई या अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं। गणक के रूप में विभाग के अनुसार कर मांग पर विचार करने पर सभी चार चयनित क्षेत्रों की उपर्युक्त कम्पनियों की कर की प्रभावी दरें निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में क्रमशः 16 प्रतिशत, 23 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत अनुमानित की गईं। गणक के रूप में लेखापरीक्षा के अनुसार देय कर मांग लेकर सभी चार चयनित क्षेत्रों की उपर्युक्त कम्पनियों के कर की प्रभावी दरें उसी अवधि के दौरान क्रमशः 22 प्रतिशत, 23 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत अनुमानित की गईं। इस विश्लेषण के प्रयोजन हेतु किन्ही तीन वर्षों में हानि वाली कम्पनियों के डाटा इन वर्षों से हटा दिए गए हैं।

* **कृपया परिशिष्ट 2 के नीचे नोट देखें (चार पृष्ठों में)**

1.5.8 इसलिए उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि चार चयनित क्षेत्रों में लाभ दर्शा रहीं और विचाराधीन सभी तीन वर्षों में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कम्पनियों ने उन कम्पनियों, जिन्होंने लाभ दर्शाया और विचाराधीन तीन वर्षों में से केवल एक या दो वर्षों में सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं, की अपेक्षा उच्च प्रभावी कर दर का भुगतान किया।

1.5.9 विभाग द्वारा की गई वृद्धि तथा स्वैच्छिक अनुपालनः निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए लाभ वाली तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित चार चयनित क्षेत्रों की सभी चयनित कम्पनियों द्वारा विवरणित कुल आय पर आंकडे विभाग द्वारा निर्धारित कुल आय तथा लेखापरीक्षा द्वारा यथा परिकलित कुछ आय के साथ-साथ नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं।

(करोड़ रूपये में)

तालिका-1 की गई वृद्धि/स्वैच्छिक अनुपालन

निर्धारण वर्ष	क्षेत्र	अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित लाभ अर्जित कर रही कम्पनियों की संख्या	कम्पनियों द्वारा विवरणित कुल आय	विभाग द्वारा निर्धारित कुल आय	लेखापरीक्षा द्वारा यथा परिकलित कुल आय	विभाग द्वारा परिवृद्धियां (का 5- का 4)	सम्भावित वृद्धियां का 6- का 4	कुल आय की प्रतिशत के रूप में (लेखापरीक्षा के अनुसार) वसूली न गई सभावित आय (का 8- का 7/का 6 x 100)	विवरणी दाखिल करने के स्तर पर कम्पनियों द्वारा अपालन (प्रतिशतता में) (का 4 की प्रतिशतता के रूप में का 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2002-03	आटोमोबाइल	118	1881.08	2543.3	2571.1	662.22	690.02	1.08	27
	साफ्टवेयर	126	473.99	1129.9	1499.8	655.87	1025.85	24.67	68
	इस्पात	143	143.58	303.3	362.1	159.75	218.52	16.23	60
	व्यापार	277	599.29	732.7	788.3	133.37	189.01	7.06	24
	जोड़	**664**	**3097.9**	**4709.2**	**5221.3**	**1611.21**	**2123.39**	**9.81**	**41**
2003-04	आटोमोबाइल	131	3106.5	3383.2	3416.2	276.65	309.73	0.97	9
	साफ्टवेयर	162	2021.44	2066.1	2386.8	44.68	365.39	13.44	15
	इस्पात	173	186.94	310.5	308.3	123.53	121.38	(-)0.70	39
	व्यापार	309	973.31	1096.2	1181.9	122.94	208.60	7.25	18
	जोड़	**775**	**6288.2**	**6856.0**	**7293.3**	**567.81**	**1005.10**	**6.00**	**14**
2004-05	आटोमोबाइल	146	5065.7	5150.9	6373.1	85.15	1307.3	19.18	21
	साफ्टवेयर	173	3018.73	1312.6	2476.5	(-)1706.1	(-)542.22	47.00	.22
	इस्पात	199	431.20	492.9	546.8	61.67	115.59	9.86	21
	व्यापार	334	1666.16	1728.2	1780.0	62.05	113.85	2.91	6
	जोड़	**852**	**10181.8**	**8684.6**	**11176.4**	**(-)1497.2**	**994.53**	**22.29**	**9**

1.5.10 विभाग द्वारा निर्धारित कुल आय तथा कम्पनियों द्वारा यथा विवरणित आय के बीच अन्तर विभाग द्वारा किये गए निर्धारण प्रयासों के परिणामस्वरूप किये गए परिवर्धन प्रदान करता है। विभाग द्वारा किये गए परिवर्धन निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान चयनित कम्पनियों के संबंध में क्रमशः 1611.21 करोड़ रूपये तथा 567.81 करोड़ रूपये थे। निर्धारण वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग द्वारा यथा निर्धारित कुल आय कम्पनियों द्वारा विवरणित आय के 1497.2 करोड़ रूपये कम थी। लेखापरीक्षा द्वारा यथा परिकलित कुल आय तथा कम्पनियों द्वारा विवरणित कुल आय के बीच अन्तर दर्शाने वाले कालम 8 को, कुल सम्भावित परिवर्धनों, जिन्हें विभाग ने निर्धारणों के दौरान करना था, की सीमा के रूप में देखा जा सकता है। कालम 8 तथा कालम 7 के बीच अन्तर निर्धारणों के दौरान विभाग द्वारा वसूले न गए सम्भावित परिवर्धनों को दर्शायेंगें। कुल आय (लेखा परीक्षा द्वारा यथा परिकलित) के अनुपात के रूप में सम्भावित परिवर्धन के अन्तर तालिका के कालम 9 में दिये गए हैं। निर्धारण वर्ष 2002-03 में यह संख्या 9.81 प्रतिशत थी जिसमें निर्धारण वर्ष 2003-04 में 6 प्रतिशत तक सुधार हुआ और यह पुनः बिगड़ कर निर्धारण वर्ष 2004-05 में 22.29 प्रतिशत हो गयी।

1.5.11 उपर्युक्त तालिका का कालम 8 वह राशि दर्शाता है जिसे कम्पनियां अपनी कर योग्य आय से कम सूचित करती हैं। कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई कुल आय की प्रतिशतता के रूप में (कालम 4) कालम 8 विवरणी दाखिल करने की अवस्था में कम्पनियों द्वारा अननुपालना की सीमा दर्शाता है। निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए यह प्रतिशतता क्रमशः 41, 14 तथा 9 थी जिससे यह संकेत मिलता है कि इस अवधि के दौरान उपर्युक्त कम्पनियों द्वारा विवरणियां दाखिल करने की अवस्था में अननुपालना घट गई है। इसलिए, आकड़ों से यह आभास होता है कि चार चयनित क्षेत्रों में उपर्युक्त कम्पनियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार हुआ है। विचाराधीन सभी वर्षों में लाभ दर्शाने वाली कम्पनियों और विचाराधीन तीन वर्षों में से केवल एक या दो वर्षों में लाभ वाली कम्पनियों तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित कम्पनियों के संबंध में यह विश्लेषण **परिशिष्ट 3** में दिया गया है। आकंड़ों से यह संकेत मिलता है कि चयनित क्षेत्रों में स्वैच्छिक अनुपालन उन कम्पनियों, जिन्होंने तीन में से एक या दो वर्षों में लाभ दर्शाया, की तुलना में उन कम्पनियों में अधिक है जिन्होंने विचाराधीन सभी तीन वर्षों में लाभ दर्शाया है और अधिनियम के सामाय प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं।

1.5.12 निर्धारणों में गलतियां: लेखापरीक्षा में चार चयनित क्षेत्रों की सभी चयनित कम्पनियों, चाहे अधिनियम के सामान्य अथवा विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं, के निर्धारणों में 1508.83 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली विभिन्न प्रकार की 559 गलतियां देखने में आईं। विभाग ने 969.05 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 196 मामलों में उत्तर दिए हैं। इनमें से विभाग ने 448.24 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 102 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं और 520.81 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 94 मामलों में स्वीकार नहीं की हैं। 539.78 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले शेष 363 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित हैं विभाग के उत्तरों को उचित स्थानों पर रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। श्रेणीवार तथा क्षेत्रबार ये लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे तालिका 2 में दर्शाई गई हैं।

(करोड़ रूपयें में)

तालिका 2:निर्धारणों में गलतियां

गलती का स्वरूप	कम्प्यूटर साफ्टवेयर (बडे, मध्यम/छोटे)		अनुंषगियों सहित आटोमोबाइल		इस्पात (बडे, मध्यम/छोटे)		व्यापार (बडे, मध्यम/छोटे)		कुल कर प्रभाव	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
धारा 10 ए/10 बी के सम्बन्ध में अनियमित/अधिक छूट	71	266.73	1	11.18	0	0	1	0.84	73	278.75
अध्याय VI ए में व्यय की अनियमित कटौती	17	135.41	13	4.75	10	23.90	7	3.69	47	167.75
कारबार आय की गलत संगणना	23	45.51	18	17.46	23	62.16	31	22.99	95	148.12
प्रावधानों तथा देयताओं की गलत अनुमति	22	88.83	26	36.97	14	15.87	14	23.81	76	165.48
पूंजीगत व्यय तथा गैर-कारबार व्यय की गलत अनुमति	15	16.90	27	22.23	9	21.19	7	0.79	58	61.11
अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गलत गणना	10	5.90	10	102.38	11	91.6	4	0.15	35	200.03
पूंजीगत अभिलाभों की गलत संगणना	0	0	3	29.57	0	0	0	0	`	29.57
मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति	12	30.86	16	266.23	17	29.74	20	42.20	65	369.03
अन्त स्टॉक का अवमूल्यांकन	0	0	4	18.57	2	14.81	0	0	6	33.38
बिक्री कर देयता का गलत मूल्यांकन	0	0	0	0	1	3.26	0	0	1	3.26
समामेलन के पश्चात् परिसम्पत्तियों की गलत संगणना	3	16.59	0	0	0	0	1	13.28	4	29.87
उत्पादन तथा बिक्री का छिपाव	0	0	1	5.11	1	1.83	0	0	2	6.94
स्रोत पर कर कटौती में अनियमितताएं	0	0	1	1.69	0	0	4	3.33	5	5.02
अन्य गलतियां जैसे आंकड़े अपनाने में गलतियां, गलत दरें, ब्याज में चूक आदि	28	5.96	11	1.21	22	1.99	28	1.36	89	10.52
जोड़	**201**	**612.69**	**131**	**517.35**	**110**	**266.35**	**117**	**112.44**	**559**	**1508.83**

1.5.13 कम्प्यूटर साफ्टवेयर क्षेत्रः लेखापरीक्षा में कम्प्यूटर साफ्टवेयर क्षेत्र में 612.69 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली 201 गलतियों का पता चला। धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत दी जा रही छूटों के सम्बन्ध में 266.73 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली 71 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का पता चला। अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियों, देयता तथा प्रावधानों की अनुमति तथा कारबार आय की गणना के संबंध में गलतियों की संख्या क्रमशः 17,22 तथा 23 थी जिनमें 135.41 करोड़ रूपये, 88.83 करोड़ रूपये तथा 45.51 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

1.5.14 अनुषंगियों सहित आटोमोबाइलः अनुंषगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र में लेखापरीक्षा को 517.35 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली 131 गलतियों का पता चला। मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति के सम्बन्ध में 266.23 करोड़ रूपये के कर प्रभाव के साथ 16 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का पता चला। अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गणना तथा प्रावधानों तथा देयताओं के सम्बन्ध में गलतियों की संख्या क्रमशः 10 तथा 26 थी। जिनमें 102.38 करोड़ रूपये तथा 36.97 करोड़ रूपये का कर प्रभाव था।

1.5.15 इस्पात क्षेत्रः इस्पात क्षेत्र में लेखापरीक्षा को 266.35 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली 110 गलतियों का पता चला। अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गणना के सम्बन्ध में 91.60 करोड़ रूपये के कर प्रभाव के साथ 11 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का पता चला। कारबार आय की संगणना तथा मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की अनुमति के सम्बन्ध में 62.16 करोड़ रूपये तथा 29.74 करोड़ रूपये के कर प्रभाव के साथ गलतियों की संख्या क्रमशः 23 तथा 17 थी।

1.5.16 व्यापार क्षेत्रः व्यापार क्षेत्र में लेखापरीक्षा को 112.44 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली 117 गलतियों का पता चला। कारबार आय की संगणना के संबंध में 22.99 करोड़ रूपये वाली 31 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का पता चला जबकि मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की अनुमति और प्रावधानों तथा देयताओं की अनुमति के सम्बन्ध में 42.20 करोड़ रूपये तथा 23.81 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली क्रमशः 20 तथा 14 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का पता चला।

1.5.17 इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर परवर्ती पैराग्राफों में श्रेणीवार चर्चा की गई है। पैराग्राफों में 25 करोड़ रूपये या अधिक कर प्रभाव सुझाव वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अलग-अलग चर्चा की गई है जबकि दो करोड़ रूपये तथा 25 करोड़ रूपये के बीच कर प्रभाव वाली अभ्युक्तियों को समीक्षा में तालिकाओं में दर्शाया गया है। 50 लाख रूपये तथा दो करोड़ रूपये के बीच कर प्रभाव वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां **परिशिष्ट 4** में दर्शाई गई हैं। 50 लाख रूपये से कम धन मूल्य वाली अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कर प्रभाव समीक्षा में शामिल किया गया है परन्तु इनका अलग-अलग उल्लेख नहीं किया गया है। अल्प धन मूल्य वाले परन्तु महत्वपूर्ण मुद्दों से सम्बन्धित कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का भी समीक्षा में उल्लेख किया गया है।

1.5.18 3.47 करोड़ रूपये के कर वाले पैरा संख्या 1.5.28 (तालिका 10 की क्रम संख्या 3), 1.5.37 में यथा उल्लिखित स्रोत पर काटे गए कर से सम्बन्धित मामलों को भी "टी डी एस/टी सी एस योजनाओं का कार्यान्वयन" समीक्षा में चित्रित किया गया है।

1.5.19 धारा 10 ए/10 बी के संबंध में अनियमित/अधिक छूट

लेखापरीक्षा में 278.75 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली 73 गलतियां देखी गई जहाँ धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट अनुमत की गई यद्यपि निर्धारिती छूट पाने का पात्र होने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते थे जैसा कि पैराग्राफ 1.5.20 से 1.5.25 तक में दर्शाया गया है।

1.5.20 स्वामित्व/लाभदायक हित के हस्तान्तरण के दौरान धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत अनियमित/अधिक छूट

धारा 10ए/10बी की उपधारा (9) प्रावधान करती है कि जहाँ किसी पूर्व वर्ष में स्वामित्व या उपक्रम में लाभदायक हित किसी तरह से हस्तान्तरित किया जाता है वहाँ 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2004 तक की अवधि के दौरान छूट निर्धारिती को अनुमत नहीं होगी। इसके अलावा जहाँ किसी पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन इक्यावन प्रतिशत से अनधिक मतदान की शक्ति रखने वाली कम्पनी के शेयर व्यक्ति, जो पूर्व वर्ष जिसमें उपक्रम स्थापित किया गया, के अन्तिम दिन इक्यावन प्रतिशत से अनधिक मतदान की शक्ति रखने वाली कम्पनी के शेयर लिए हुए हैं, द्वारा लाभदायक रूप से धारित नहीं हैं वहाँ कम्पनी द्वारा अपना स्वामित्व या उमक्रम में लाभदायक हित हस्तान्तरित किया हुआ मान लिया जायगा। अन्य शब्दों में व्यक्ति, जो उपक्रम की स्थापना के समय शेयरों का 51 प्रतिशत धारित किए हुए हैं इस धारा के अन्तर्गत लाभ पाने के उद्देश्य से 51 प्रतिशत से अनधिक शेयर धारित करना जारी रखे हुए होना होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में निर्धारिती का स्वामित्व या लाभदायक हित हस्तान्तरण की अनदेखी कर छूट अनुमत की गईः

1.5.20.1 सिटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी **मै. जी टी एल लिमिटेड** के निर्धारण क्रमशः मार्च 2003, मार्च 2004 तथा फरवरी 2005 में संक्षिप्त रीति में पूरे किए गए और केवल निर्धारण वर्ष 2004-05 का निर्धारण संवीक्षा के लिए चुना गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मै. ग्लोबल टेली सिस्टम्स लिमिटेड (जी टी एस एल) के रूप में पूर्व ज्ञात निर्धारिती कम्पनी ने 01 जनवरी 2000 से मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विसेज लिमिटेड (जी ई सी एस) के विलयन के फलस्वरूप 14 सितम्बर 2001 से अपना नाम **मै. जी टी एल लिमिटेड** परिवर्तित कर दिया। पहले मै. जी टी एस एल के रूप में ज्ञात मै. जी टी एल लिमिटेड ने निर्धारण वर्ष 2000-01 में 07 जुलाई 1999 को एक निर्यातोन्मुख (ई ओ यू) यूनिट की स्थापना की और निर्धारण वर्ष, जिसमें ई ओ यू स्थापित किया गया, के अन्तिम दिन को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 43.41 करोड़ रूपये थी। उपर्युक्त शेयर पूंजी में एफ आई आई एस (20.50 प्रतिशत) तथा एन आर आई/विदेशी निगम/ओ सी बी (14.79 प्रतिशत) के साथ साथ प्रवर्तकों के शेयरों (20.99 प्रतिशत) का प्रतिशत 56.28 प्रतिशत था जो निर्धारण वर्ष 2002-03 के अन्तिम दिन घटकर 39.49 प्रतिशत (प्रवर्तकः 25.70 प्रतिशत, एफ आई आई एसः 5.63 प्रतिशत और एन आर आई/ विदेशी निगम/ओ सी बीः 8.16 प्रतिशत) हो गया। इस प्रकार ऊपर उद्धरित प्रावधान के अनुसार लाभदायक स्वामित्व निर्धारण वर्ष 2002-03 में हस्तान्तरित हो गया माना जायगा और धारा 10 बी के अन्तर्गत छूट निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा बाद के निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती को अनुज्ञेय नहीं थी । उसे अस्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक

के लिए 215.89 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके कारण ब्याज सहित 104.84 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 के संबंध में 50.66 करोड़ रूपये की मांग की। निर्धारण वर्ष 2003-04 का निर्धारण भी पुनः खोला जा रहा है।

1.5.20.2 ऐसे ही दो अन्य मामले नीचे तालिका 3 में दर्शाए गए हैं:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 3: स्वामित्व/लाभदायक हित के हस्तान्तरण के दौरान धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत अनियमित/अधिक छूट

क्रम संख्या निर्धारिती का नाम तथा प्रभार	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. डब्ल्यू एन एस ग्लोबल सिटी 10 मुम्बई	2003-04 143(3)	मै. ब्रिटिश एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड यू के की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी धारा 10 ए के अधीन परिणामी लाभ की कटौती का दावा कर रही। मई 2002 में मै. डब्ल्यू एन एस (मारीसस) लिमि. ने मै. ब्रिटिश एयरवेज से कम्पनी की समग्र शेयरी पूंजी अभिग्रहीत कर ली और कम्पनी ने अभी भी धारा 10ए के अन्तर्गत 30.75 करोड़ रूपये की कटौती का दावा किया जिसे अनियमित रूप से विभाग द्वारा अनुमत किया गया।	16.41
अनुषंगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र			
2. मै. इगरिषी मोटर्स इण्डिया लिमिटेड चेन्नई I	2001-02 2002-03 2003-04 143(3)	निर्धारिती कम्पनी सात शेयर धारकों, जिनके पास शेयरों का 51 % से अधिक था, के साथ 1992 में निगमित की गई था। वर्ष 2000-01 की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट से यह देखा गया कि सात मूल शेयर धारकों में से केवल चार अभी भी कम्पनी के साथ थे और उनकी शेयरधारिता मतदान की शक्ति के 51 % से कम थी। इस प्रकार निजी स्थापन आधार शेयरों को जारी करने के कारण स्वामित्व बदल गया था। इसलिए इन वर्षों के दौरान धारा 10 ए के अन्तर्गत अनुमत 6.62 करोड़ रूपये, 10.36 करोड़ रूपये तथा 5.58 करोड़ रूपये की कटौती अनियमित थी	11.18

1.5.21 कुल आय की गलत गणना के कारण धारा 10 ए एवं 10 बी के अधीन गलत छूट

10 ए तथा 10 बी की उपधारा 6 (ii) में प्रावधान है कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नवीन स्थापित उपक्रमों या नवीन स्थापित शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों से संबंधित कोई हानि अग्रेनीत या समंजित नहीं की जाएगी जहाँ ऐसी हानि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व समाप्त सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष से संबंधित है। यह इंगित करता है कि यदि उपक्रम की 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद से आरम्भ निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हानियां धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत आती हैं तो उनका

समंजन या समंजन के लिए अग्रेनीत की जाएंगी। तथापि ऐसी हानियां अग्रेनीत की जांय या उपक्रम के उन लाभों के प्रति समंजित की जांय जो केवल धारा 10ए/10बी के अन्तर्गत आते हैं न कि उनके प्रति जो धारा 10ए/10बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि धारा 14 ए के प्रावधान के अनुसार आय, जो अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय का भाग नहीं है, के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए खर्च के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

80 एच एच ई की उपधारा (5) में प्रावधान है कि जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती अनुमत की जाती है वहां उसी वर्ष और किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे लाभ के संबंध में कटौती अनुमत नहीं की जायगी। इसके अलावा 10 ए एवं 10 बी की उपधारा में भी प्रावधान है कि जहाँ निर्धारिती धारा 139 की उपधाधारा (1) के अन्तर्गत आय की विवरणी भेजने की नियत तारीख से पूर्व निर्धारण अधिकारी को लिखित में एक घोषणा भेजता है कि इस धारा के प्रावधान उसको लागू नहीं किए जांय वहां धारा के प्रावधान किसी भी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसको लागू नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा में 12 मामलों में गलतियां देखी गईं जिसमें 23.01 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, जहाँ 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत आय की छूट अनुमत करते समय उपरोक्त प्रावधानों का सही रूप में अनुपालन नहीं किया गया। चार ऐसे मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 4 कुल आय की गलत संगणना के कारण धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत गलत छूट

क्रम संख्या निर्धारिती तथा प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. कम्प्यूटर साइंस कार्पोरेशन इण्डिया (प्रा.) लिमि. इन्दौर, म.प्र.	2002-03 143(1) 2003-04 143(3)	इन्दौर यूनिट के संबंध में धारा 10 ए के अन्तर्गत निर्धारिती को गलत प्रकार से 17.66 करोड़ रूपये की छूट अनुमत की गई, चूंकि छूट पूर्व वर्षों में धारा 80 एच च ई के अन्तर्गत अनुमत की गई और धारा 80 एच एच ई से धारा 10 ए को छूट दावे के विकल्प में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं था। यह भी देखा गया कि नोएडा यूनिटा में पोषित हानि इन्दौर यूनिट के लाभ के प्रति समंजित नहीं की गई। गलत छूट तथा 46.71 लाख रूपये की हानि के अग्रेनयन एवं समंजन की अनुमति की चूक के परिणामस्वरूप 18.13 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।	8.23
2. मै. काग्नीजेंट टेक्नालाजी सोल्यूशंस इण्डिया लिमिटेड चेन्नई I	2003-04 143(3)	निर्धारिती को तीन एस टी पी यूनिटों में हानियां और पांच अन्य एस टी पी* में लाभ हुए जिसके लिए धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया गया। निर्धारिती ने वर्ष के कर योग्य लाभों के प्रति तीन यूनिटों की हानियों के समंजन का दावा किया जिसे निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया परन्तु उसे संगणना चरण पर अनुमत किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9.39 करोड़ रूपेय की आय का अवनिर्धारण हुआ।	3.45

*

* सोफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क

3. मै. पेन्टा मीडिया ग्राफिक्स लिमि. चेन्नई III	2002-03 143(3)	10.39 करोड़ रूपये की ब्याज आय को धारा 10 बी के अन्तर्गत छूट के प्रयोजन हेतु कारबार आय से कम नहीं किया गया। ब्याज आय का अपवर्जन न करने के परिणामस्वरूप 5.08 करोड़ रूपये की सीमा तक धारा 10 बी के अन्तर्गत छूट की अधिक अनुमति हुई।	2.52
4. मै. कम्प्यूटैक इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता-I	2001-02 143(3)	धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती नियत अवधि के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई गई बिक्री आय होने पर 25.55 करोड़ रूपये के स्थान पर 62.09 करोड़ रूपये के कुल निर्यात पण्यावर्त के आधार पर संगणित की गई।	2.07

स

ात समान प्रकार के मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 1 से 7** पर दिए गए हैं।

1.5.22 पण्यावर्त की गलत संगणना के कारण धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत अधिक छूट

वस्तुओं अथवा सामानों अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ वह राशि होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभ से संबंध रखती है, ऐसी वस्तुओं या सामान का कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में निर्यात पण्यावर्त के रूप में समानुपात राशि जो उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल पण्यावर्त से संबंध रखती है।

निर्यात पण्यावर्त को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात के संबंध में प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है परन्तु बीमा, भाडा, संसूचना यदि कोई हो, के प्रति किए गए खर्चों और भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं मुहैया करने में विदेशी मुद्रा में किए गए खर्चों को शामिल नहीं करता है।

लेखापरीक्षा में 48 मामलों में 106.75 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली गलतियां देखी गईं जहां छूट विदेशी मुद्रा में किए गए खर्चों का समायोजन किए बिना धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत अनुमत की गई या पण्यावर्त की गलत संगणना अपनाई गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक कटौती हुई। एक मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है।

1.5.22.1 सिटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए साफ्टवेयर कम्पनी **मै. महिन्द्रा ब्रिटिश टेलीकाम लिमिटेड** के निर्धारण क्रमशः नवम्बर 2004 तथा दिसम्बर 2005 में संवीक्षा के बाद और निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए फरवरी 2005 में संक्षिप्त रीति में पूरे किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट की राशि निकालते समय तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च निर्यात पण्यावर्त तथा कुल पण्यावर्त से कम किया गया। तथापि अधिनियम केवल निर्यात पण्यावर्त से इस राशि को कम करने का प्रावधान करता है। कुल पण्यावर्त से उसे कम करना सही नहीं था जिसके परिणामस्वरूप 52.27 करोड़ रूपये के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 144.62 करोड़ रूपये की अधिक छूट हुई।

1.5.22.2 आठ ऐसी ही लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे तालिका 5 में दर्शाई गई हैं:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 5: पण्यावर्त की गलत संगणना के कारण धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत अधिक छूट

क्रम संख्या निर्धारिती तथा प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. आफटेक इन्फोसिस लिमि. सिटी 6 मुम्बई	2003-04 2004-05 143(3)	निर्धारिती ने 26.38 लाख रूपये तथा 41.51 लाख रूपये का प्रतिष्ठापन सेवा, परीक्षण आदि के प्रति विदेशी मुद्रा में खर्च किया। इसे धारा 10 बी के अन्तर्गत छूट संगणित करते समय निर्यात पण्यावर्त से घटाया नहीं गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।	9.91
2. मै. इम्फोसिस बी एफ एल लिमि. बैंगलूर III	2002-03 143(3)	धारा 10 बी के अन्तर्गत कटौती अनुमत करने में 3.74 करोड़ रूपये के भारत से बाहर साफ्टवेयर निर्यात को आरोप्य दूरसंचार प्रभार और 69.97 करोड़ रूपये के भारत से बाहर तकनीकी सेवा प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च कुल पण्यावर्त से गलत प्रकार से कम किए गए। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।	9.84
3. मै. माइक्रो टेक्नालाजीज इण्डिया लिमिटेड सिटी 8 मुम्बई	2002-03 143(3) 2003-04 2004-05 143(1)	निर्धारिती ने भारत में निर्यात बिक्री प्रतिफल प्राप्त नहीं किये परन्तु आर बी आई की आवश्यक अनुमति के साथ विदेशी कम्पनियों में इक्विटी की खरीद में उनका उपयोग किया। इसे धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट के प्रयोजन हेतु भारत में प्राप्त हुआ माने जाने के रूप में कथित प्रतिफलों को अनुमति के रूप में विचार करने के लिए नहीं लिया जा सकता है। इसके परिणामस्वयप 10.45 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।	5.27
4. मै. माइक्रो टेक्नालाजीज इण्डिया सिटी 8 मुम्बई	2002-03 143(1)	निर्धारिती को एस टी पी तथा गैर एस टी पी दोनों से 5.73 करोड़ रूपये का कुल लाभ हुआ जिसके प्रति 5.60 करोड़ रूपये के लाभ का (कुल लाभ का 98 प्रतिशत) धारा 10 ए के अन्तर्गत मुक्त के रूप में दावा किया गया। तथपि निर्धारिती ने कुल व्यय का 85 प्रतिशत गैर एस टी पी यूनिटों को डेबिट किया जो गैर एस टी पी यूनिटों को आरोप्य लाभ के अनुपात में नहीं था।	4.65
5. मै. एक्ससेस टेक्नालाजीज इण्डिया प्रा. लिमि. बैंगलरू- I	2002-03 143(1)	निर्धारिती ने 79.13 करोड़ रूपये को निर्यात पण्यावर्त के रूप में अपनाया जबकि निर्धारित समय सीमा के भीतर इसको परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में केवल 58.84 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। इसके अलावा लेखे में डेबिट किए गए 39.02 लाख रूपये के डाटा संसूचना खर्चे निर्यात पण्यावर्त से घटाए नहीं गए। उपर्युक्त गलतियों के परिणामस्वरूप 9.69 करोड़ रूपये तक की धारा 10 ए के अन्तर्गत अधिक कटौती हुई। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।	3.98
6. मै. काग्नीजेंट टेक्नालाजी सोल्यूशंस	2002-03 143(3)	निर्धारिती ने धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती संगणित करने में विदेशी मुद्रा में खर्च को निर्यात पण्यावर्त तथा कुल पण्यावर्त से निकाल दिया जबकि अपवर्जन केवल निर्यात पण्यावर्त से किया जाना था। इसके अतिरिक्त 12.70	3.94

इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड चेन्नई I		करोड़ रूपये की राशि दूरसंचार प्रभारों के प्रति डेबिट की गई थी परन्तु केवल 5.45 करोड़ रूपये का एक भाग निर्यात पण्यावर्त से बाहर निकाला गया। वर्ष 2003-04 के संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी ने भारत से बाहर साफ्टवेयर की सुपुर्दगी को आरोप्य भारत में किए गए खर्च के रूप में निर्यात पण्यावर्त से निकाली गई राशि से अलग शेष राशि के 75 प्रतिशत को निकाला है। तथापि 5.44 करोड़ रूपये (शेष 7.25 करोड़ रूपये का 75 प्रतिशत) की ऐसी अस्वीकृति पर निर्धारण वर्ष 2002-03 में ध्यान नहीं दिया गया।	
7. मै. कोबनसिस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई I	2002-03 143(3)	धारा 10 बी के अन्तर्गत छूट की संगणना करते समय 11.59 करोड़ रूपये के दूरसंचार प्रभार तथा विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च कुल पण्यावर्त से घटाए गए। ये मदें केवल निर्यात पण्यावर्त से निकाली जानी थीं। कुल पण्यावर्त की गलत संगणना के परिणामस्वरूप 4.73 करोड़ रूपये की छूट की अधिक अनुमति हुई।	2.29
8. मै. ओरेकल सोल्यूशंस सर्विसेज (इं) लिमिटेड बैंगलूर- III	2002-03 143(3)	धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती अनुमत करने में कुल पण्यावर्त लाभ तथा हानि लेखे में यथा प्रदर्शित 51.29 करोड़ रूपये के प्रति 41.80 करोड़ रूपये अपनाए गए। उपर्युक्त चूक के परिणामस्वरूप 4.12 करोड़ रूपये की धारा 10 ए के अन्तर्गत अधिक कटौती हुई। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।	2.02

ऐसे सात मामले परिशिष्ट **4 के क्रम संख्या 8 से 14** पर प्रदर्शित हैं।

1.5.23 उपक्रमों के पुनर्गठन/विखण्डन के संबंध में धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत गलत छूट

निर्धारिती को कोई छूट अनुमत नहीं होती है यदि कम्पनी/उपक्रम विखण्डन द्वारा या कारबार का पुनर्गठन पहले ही विद्यमान है या पूर्व में किसी प्रयोजन हेतु प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र को नए कारबार को स्थानान्तरण द्वारा संगठित है।

लेखापरीक्षा में 7.88 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले दो मामलों में गलतियां देखी गईं जहां धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत छूट उपक्रम के विखण्डन या कारबार के पुनर्गठन की अनदेखी कर अनियमित रूप से अनुमत की गई। ऐसा एक मामला नीचे तालिका 6 में दर्शाया गया है:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 6 : उपक्रम के पुनर्गठन/विखण्डन के संबंध में धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत गलत छूट

क्रम संख्या/निर्धारिती तथा प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. कम्प्यूटेक इण्टरनेशनल लिमिटेड कोलकाता I	2001-02 2002-03 2003-04 143(3)	इन निर्धारण वर्षों में एक एस टी पी/साफ्टवेयर यूनिट के संबंध में धारा 10 ए के अन्तर्गत निर्धारिती को 12.99 करोड़ रूपये की अनियमित छूट अनुमत की गई। जो विद्यमान आई टी डिवीजन, जिसके संबंध में निर्धारण वर्ष 2000-01 तक निर्धारिती द्वारा धारा 80 आई बी के अन्तर्गत छूट का लाभ लिया गया, के प्रयुक्त संयन्त्र तथा	7.32

		मशीनरी के साथ मार्च 2000 में पुनर्गठित की गई।	

ऐसा ही एक मामला **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 15** पर प्रदर्शित है।

1.5.24 आर्म लेंथ प्राइस का समायोजन न करने के कारण धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत अनुमत अधिक छूट

अधिनियम की धारा 19 सी के अन्तर्गत आय की राशि, जिससे धारा के अन्तर्गत आय की संगणना के बाद निधारिती की कुल आय बढ़ जाती है, के संबंध में धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत या अध्याय VI ए के अन्तर्गत कोई छूट अनुमत नहीं की जायगी। जहाँ कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन करता है वहाँ निर्धारण अधिकारी आर्म लेंथ प्राइस की संगणना को अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को भेज सकता है।

लेखापरीक्षा में 0.72 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 2 मामलों में गलतियां देखी गई जहाँ उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। इनमें से एक मामला **परिशिष्ट 4 की क्रम संख्या 16** पर दिया गया है।

1.5.25 प्रमाणपत्र/लेखाकार की रिपोर्ट भेजे बिना धारा 10 ए एवं 10 बी के अन्तर्गत अनियमित छूट

धारा 10ए/10बी की उपधारा (5) में प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद आरम्भ हुए किसी निर्धारण वर्ष के लिए छूट अनुमत नहीं होगी जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी, धाराओं के प्रावधानों के अनुसार लेखाकार की रिपोर्ट के साथ साथ निधारित फार्म में प्रमाणपत्र नहीं भेजता है।

लेखापरीक्षा में 7.96 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 3 मामलों में गलतियां देखी गईं जहां निर्धारितियों द्वारा लेखाकार की रिपोर्ट भेजे बिना धारा 10ए/10बी के अन्तर्गत छूट अनुमत की गई। ऐसा एक मामला नीचे तालिका 7 में दर्शाया गया हैः

(करोड़ रूपये में)

तालिका: 7 प्रमाणपत्र/ लेखाकार रिपोर्ट भेजे बिना धारा 10 ए एवं 10बी के अन्तर्गत अनियमित छूट

क्रम संख्या निधारिती तथा प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष तथा निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
मै. गेब्स इन्फोर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड चेन्नई I	2002-03 & 2004-05 143(1) 2003-04 143(3)	निर्धारिती को इन वर्षों के दौरान धारा 10 बी के अन्तर्गत 7.46 करोड़ रूपये, 5.48 करोड़ रूपये एवं 2.47 करोड़ रूपये की छूट अनुमत की गई यद्यपि उसने आय की विवरणी के साथ साथ लेखाकार की रिपोर्ट दाखिल नहीं की।	6.90

एक ऐसा मामला **परिशिष्ट 4 की क्रम संख्या 17** पर प्रदर्शित है

1.5.26 अध्याय VI ए के अन्तर्गत गलत छूट

कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभों के कारण अधिनियम की धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती वह राशि होगी जो कारबार के लाभ से संबंध रखती है, निर्यात पण्यावर्त के रूप में वह भाग जो निधारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के कुल पण्यावर्त से संबंध रखता है।

अधिनियम की धारा 10 ए के अनुसार आय में भारत के बाहर की गई तकनीकी सेवाओं से प्राप्त राशि शामिल होती है परन्तु निर्यात पण्यावर्त से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में खर्च शामिल नहीं होता है। तथापि भारत से बाहर की गई तकनीकी सेवाओं से प्राप्त लाभ अधिनियम की धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत विशेष रूप से प्रदान किया गया है इसलिए कथित लाभ अधिनियम की धारा 10 ए के स्थान पर 80 एच एच ई के अन्तर्गत छूट का पात्र है।

लेखापरीक्षा में अध्याय VI के अन्तर्गत धारा 80 एच एच ई, 80 एच एच सी, 80 आई ए, 80 आई बी, 80 जे जे ए ए आदि के अन्तर्गत कटौती अनुमत करते समय 167.75 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 47 मामलों में गलतियां देखी गईं। दो ऐसे मामलों पर नीचे चर्चा की गई हैः

1.5.26.1 सिटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी **मै. टाटा सन्स लिमिटेड** का निर्धारण मार्च 2005 में संवीक्षा बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती को 362.94 करोड़ रूपये की धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट और धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत 539.13 करोड़ रूपये की कटौती अनुमत की गई। धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने कुल पण्यावर्त को 4120.40 करोड़ रूपये के प्रति 2881.67 करोड़ रूपये लिया। धारा 80 एच एच ई में अन्तर्विष्ट प्रावधान के अनुसार उपक्रम के कुल पण्यावर्त के प्रति कारबार के कुल पण्यावर्त पर विचार किया जाना अपेक्षित है। गलत कुल पण्यावर्त को अपनाने के परिणामस्वरूप 162.08 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 57.86 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि धारा 80 एच एच ई में सदर्भित पण्यावर्त निर्धारिती के कारबार का पण्यावर्त सूचित करता है इसलिए निर्धारिती के कुल पण्यावर्त की संगणना करते समय धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने वाली यूनिटों का पण्यावर्त शामिल नहीं किया जा सकता है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कुल पण्यावर्त में सभी कार्यकलापों का पण्यावर्त शामिल होना चाहिए चाहे धारा 10 ए के अन्तर्गत हो या धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत हो। इसके अलावा विभाग ने निर्धारण वर्ष 2003-04 के निर्धारण में धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने वाली यूनिटों के पण्यावर्त सहित कुल पण्यावर्त पर धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत छूट अनुमत की थी।

1.5.26.2 निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक कम्पनी **मै. टाटा सन्स लिमिटेड** का निर्धारण अक्तूबर 2005 में धारा 250 के अन्तर्गत पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने 664.29 करोड़ रूपये की छूट धारा 10 ए के अन्तर्गत और 115.19 करोड़ रूपये की कटौती धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत अनुमत की है। धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती 856.14 करोड़ रूपये की कारबार आय पर परिकलित की गई जिसमें 664.29 करोड़ रूपये का 10 ए यूनिटों से लाभ शामिल था। धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती संगणित करते समय कारबार आय से धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट की राशि न निकालने के परिणामस्वरूप धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत 89.37 करोड़ रूपये की कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसके कारण 35.34 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

1.5.26.3 ऐसे सात मामले नीचे तालिका 8 में दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रूपये में)

तालिका : 8 अध्याय VI ए के अन्तर्गत गलत कटौती

क्रम संख्या/निर्धारिती तथा प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. टाटा सन्स लिमि. सिटी 1 मुम्बई	2002-03 143 (3) आर डब्ल्यू एस 263	धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती निकालने के लिए अर्हक कारबार लाभ निकालते समय अधिनियम की धारा 263 के अन्तर्गत आयकर आयुक्त आदेश का प्रभाव देने में वास्तविक अनुमत 435.29 करोड़ रूपये के स्थान पर धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती के रूप में 365.94 करोड़ रूपये की राशि घटाई गई। इसके परिणामस्वरूप धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत 43.08 करोड़ रूपये की कटौती की अधिक अनुमति हुई।	23.48
2. मै. आइगेट ग्लोबल सेल्यूशन्स लिमिटेड बैंगलूर- I	2002-03 2003-04 143(3)	धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती का परिकलन करने के लिए निर्यात पण्यावर्त अवधारित करते समय इन निर्धारण वर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः 3.42 करोड़ रूपये एवं 128.89 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा में किया गया यात्रा व्यय सहित विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च विदेश में तकनीकी सेवाएं प्रस्तुत करने में किए गए खर्च के रूप में माना गया और निर्यात पण्यावर्त से घटाया गया। विदेश में तकनीकी सेवाएं प्रस्तुत करने से लाभों से संबंधित कटौती धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत अनुमत की जानी चाहिए थी और कथित लाभ धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती पर पहुँचने के लिए घटाया जाना चाहिए। तथापि विदेश में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित लाभ धारा 10 ए के अन्तर्गत कटौती के पात्र लाभों से घटाया नहीं जाना है। इसके परिणामस्वरूप कुल 5.18 करोड़ रूपये की कटौती की अधिक अनुमति हुई।	3.66
3. मै. महिन्द्रा ब्रिटिश टेलीकाम लिमिटेड सिटी 2 मुम्बई	2002-03 2003-04 143(3)	धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत कटौती परिकलित करने के लिए लाभ से धारा 10 ए के अन्तर्गत कर मुक्त आय को कम न करने के परिणामस्वरूप 7.96 करोड़ रूपये की कटौती की अधिक अनुमति हुई	2.86
4. मै. एन आई आई टी जी आई एस लिमि. दिल्ली V	2002-03 143(1)	निर्धारिती साफ्टवेयर के विनिर्माण में लगा था, जो वस्तु या सामान नहीं था और उपक्रम भी नहीं बनता था। दूसरे निर्धारिती ने धारा 10 आई बी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए विवरणी के साथ-साथ निर्धारित फार्म में अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी नहीं भेजी थी। इसलिए धारा 80 आई बी के अन्तर्गत अनुमत 5.86 करोड़	2.38

		रूपये की कटौती अनियमित थी।	
5. डी एस एल साफ्टवेयर लिमि. बैंगलूर- I	2003-04 143(3)	धारा 10 ए के अन्तर्गत समान अधिक अनुमति जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 2 के मामले में।	2.01
इस्पात क्षेत्र			
6. मै. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड हिसार	2002-03 143(3)	धारा 80 आई ए तथा 80 आई बी के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन यूनिटों को क्रमशः 52.0 करोड़ रूपये तथा 3.74 करोड़ रूपये की कटौती सामान्य प्रावधानों के अधीन और धारा 115 जे बी के अन्तर्गत खाता लाभों पर 9.38 करोड़ का कर प्रभारित कर अनुमत की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयकर नियम 18 बी बी बी (2) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सभी यूनिटों के यूनिटवार लेखे प्राप्त किए बिना धारा 80 आई ए तथा 80 आई बी के अन्तर्गत कटौतियां अनुमत की गईं। इसके अभाव में शीर्ष कार्यालय खर्चे, वित्तीय खर्चे तथा अन्य विविध खर्चे का सभी यूनिटों को आबंटन अभिनश्चित नहीं किया जा सका और इसलिए अनुमत कटौतियों की यथार्थता सत्यापन योग्य नहीं है।	19.90
व्यापार क्षेत्र			
7. मै. हैदराबाद कैमीकल सप्लाईज लिमिटेड आयकर आयुक्त II हैदराबाद	2005-06 143(1)	धारा 80 आई ए (5) के अन्तर्गत हानि को अग्रेनीत और बाद के वर्षों में केवल उसी यूनिट द्वारा अर्जित लाभों के प्रति समंजित किया जा सकता है। तथापि यूनिट से 5.87 करोड़ रूपये की हानि का समंजन अपात्र यूनिट के लाभों के प्रति गलत रूप से किया गया।	2.42

दस ऐसे मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 18 से 27** तक पर प्रदर्शित हैं।

1.5.27 कारबार आय की गलत संगणना

अधिनियम के अन्तर्गत किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में ऐसे पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी स्रोत से प्राप्त आय, जो प्राप्त की गई है या प्राप्त की जानी मानी गई है या जो उपचित या उद्भूत है, शामिल होती है जब तक यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों द्वारा कर से विशेषरूप से मुक्त नहीं की जाती है।

माल के विनिर्माण तथा संसाधन में निर्धारिती की सहायता करने के लाए सम्भावित औद्योगिक सूचना तथा तकनीक प्राप्त करने के लिए प्रदत्त फीस तकनीकी जानकारी का भाग बनती है जो अमूर्त परिसम्पत्तियों के ब्लाक के अधीन मूल्यह्रास के लिए अर्हक होती है।

किसी कारबार (गैर प्रतियोगी फीस) के संबंध में न किए गए कार्यकलाप के करार के अन्तर्गत नकद या प्रकार में चाहे प्राप्त या प्राप्त योग्य कोई राशि "कारबार या वृत्ति के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य होगी।

कर्मचारियों से निर्धारिती द्वारा प्राप्त कोई राशि, जिसको धारा 2 के खण्ड (24) के उपखण्ड (x) के प्रावधान लागू होते हैं, कटौती के रूप में केवल तभी स्वीकार्य है यदि ऐसी राशि नियत तारीख को या पहले सुसंगत निधि या निधियों को कर्मचारियों के लेखे को क्रेडिट की जाती है।

यह न्याय निर्णीत* है कि यदि उत्पादन/कारबार को आरम्भ करने के बाद कारबार प्रचालन करने में सहायता करने के लिए निर्धारिती को कोई आर्थिक सहायता अदा की गई है तो ऐसी आर्थिक सहायता व्यापार के प्रयोजन हेतु सहायता के रूप में मानी जानी चाहिए और राजस्व प्राप्त के रूप में वर्गीकृत की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के कारण 148.12 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 95 मामलों में गलतियां देखी गईं। एक निर्धारिती के संबंध में देखी गई गलतियां नीचे दी गई हैं:

1.5.27.1 कोलकाता I प्रभार में एक कम्पनी **मै. इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड** के निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के निर्धारण संवीक्षा बाद और निर्धारण 2003-04 का निर्धारण संक्षिप्त रीति में क्रमशः 548.31 करोड़ रूपये, 649.85 करोड़ रूपये, 322.25 करोड़ रूपये तथा 413.47 करोड़ रूपये की हानि पर पूरे किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आय की संगणना में निम्नलिखित यथार्थताएं देखी गईं, परिणामस्वरूप 41.41 करोड़ रूपये के कुल कर प्रभाव की आय का अवनिर्धारण हुआ जैसाकि नीचे दर्शाया गया हैः

- 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारिती की स्थाई परिसम्पत्ति अनुसूची के अनुसार समंजन के लिए उपलब्ध आस्थगित राजस्व व्यय (डी आर ई) 122.23 करोड़ रूपये था जबकि अनुमत डी आर ई 143.02 करोड़ रूपये था। इसके अलावा स्थाई परिसम्पत्तियों पर अनुमत मूल्यह्रास 2.47 करोड़ रूपये अधिक था। इस प्रकार हानि का अधिक निर्धारण 23.53 करोड़ रूपये बनता था जिसमें 8.62 करोड़ रूपये का सम्भावित कर प्रभाव शामिल था। उत्तर में निर्धारण अधिकारी ने बताया कि राशि का निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया गया था। तर्क मान्य नहीं है क्योंकि समायोजन तथा अन्तरण के बाद डी आर ई की वास्तव में अनुमत 143.02 करोड़ रूपये की राशि के प्रति 122.23 करोड़ रूपये की राशि अनुमेय थी।
- निर्धारण वर्ष 2003-04 में निर्धारिती को पुनर्गठन पैकेज से उत्पन्न ब्याज देयता में अन्तर के कारण 14.24 करोड़ रूपये की अलग कटौती अनुमत की गई। यह अनियमित थी क्योंकि पूर्व वर्षों के दौरान लाभ तथा हानि लेखे में ऐसी राशि का कोई क्रेडिट नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप 5.08 करोड़ रूपये का सम्भावित कर का प्रभाव हुआ। उत्तर में निर्धारण अधिकारी ने बताया कि लेखाओं में टिप्पणियों के आधार पर लाभ तथा हानि लेखे को यह राशि यथावत क्रेडिट की गई थी। तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह ऋण के पुनर्गठन पैकेज का पूर्व वर्ष के लेखाकरण का उलटाव था।
- निर्धारिती ने "प्राप्य बिल होने के कारण कटौती बिलों" के कारण 35.78 करोड़ रूपये बट्टे खाते डाल दिए और अशोध्य ऋण के रूप में राशि का दावा किया। यह देखा गया था कि न तो यह अशोध्य ऋण था और ना ही कर्जे/उधार या बैंकिंग कारबार था। निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि राशि एक निवेश था और इसके अतिरिक्त तथ्य कि

* 228 आई टी ३ * 228 आई टी आर 253 साहनी स्टील एण्ड प्रैस वर्क्स लिमिटेड बनाम सी आई टी 1997

राशि पर पूर्व वर्षों की आय संगणित करने में ध्यान नहीं दिया गया था। इस प्रकार अशोध्य ऋण के रूप में राशि को बट्टे खाते डालने की अनुमति के परिणामस्वरूप हानि का अधिक निर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप 13.15 करोड़ रूपये का सम्भावित कर प्रभाव हुआ। उत्तर में निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार किया कि विचाराधीन राशि छूट प्रभार अर्जन के प्रति एक निवेश थी और बताया कि निर्धारिती इसके प्रतिप्राप्य हो जाने की दशा में अशोध्य ऋण के रूप में इसका दावा कर सकता है। तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसे पूंजीगत हानि के रूप में माना जाना है और न कि कारबार हानि।

- निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के एक भाग को वाणिज्यिक विकास के प्रयोजन हेतु भण्डार माल के रूप में परिवर्तित किया। ऐसे परिवर्तन के कारण लाभ तथा हानि लेखे में 174.35 करोड़ रूपये की राशि डेबिट की गई परन्तु अन्त स्टाक के भाग के रूप मे भूमि का मूल्य 105 करोड़ रूपये था इस प्रकार 69.35 करोड़ रूपये की हानि दर्शाई। हानि पूंजीगत हानि के रूप में दावा किया गया जो अनियमित था क्योंकि प्राकृतिक आपदा की घटना को छोड़कर मूल्यह्रास के अध्यधीन नहीं है और भूमि के वाणिज्यिक विकास में पूंजीगत व्यय मूल्य में कोई गिरावट नहीं रख सकता। इसके परिणामस्वरूप 14.56 करोड़ रूपये का सम्भावित कर प्रभाव हुआ। उत्तर में निर्धारण अधिकारी ने बताया है कि पूंजीगत हानि का दावा निर्धारण में अनुमत नहीं किया गया है। यह मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने हानि परिवर्तन के वर्ष में परिकलित की है और दावे को हस्तान्तरण के वर्ष तक आस्थगित कर दिया तथा पूंजीगत हानि की अनियमित संगणना संवीक्षा निर्धारण में अस्वीकृत नहीं की गई थी।

1.5.27.2 बारह ऐसे मामले नीचे तालिका 9 में दिए गए हैं:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 9: कारबार आय की गलत संगणना

क्र.सं. निर्धारिती /प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1.मै. पेन्टा मीडिया ग्राफिक्स लिमि. चेन्नई III	2003-04 143(3)	संवीक्षा निर्धारण में अनेक वृद्धियां की गईं और कारबार से आय 4.60 करोड़ रूपये से 73.14 करोड़ रूपये तक बढाई गई परन्तु धारा 10 बी के अन्तर्गत तदनुरूपी छूट वृद्धियों पर अनुमत नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 29.74 करोड़ रूपये का अधिक निर्धारण हुआ।	15.01 अति प्रभार
2.मै. नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सर्विसेज इनकापोरेशन दिल्ली V	2002-03 2003-04 143(3) 2004-05 143(1)	निर्धारण वर्ष 2003-04 में "लेखे की टिप्पणियों " के अनुसार प्रदान की गईं या की गईं सेवाओं से प्राप्त फीस की राशि 19.34 करोड़ रूपये थी जबकि लाभ तथा हानि लेखा सेवा तथा समर्थक प्राप्तियों के रूप में 8.99 करोड़ रूपये दर्शाता है। इस प्रकार 10.35 करोड़ रूपये की राशि निर्धारण से छूट गई। निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 में भी ऐसे मामले देखे गए, परिणामस्वरूप क्रमशः 6.12 करोड़ रूपये तथा 7.73 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ। उपरोक्त गलतियों के परिणामस्वरूप 24.20 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।	8.77

3. मै.पेन्टा मीडिया ग्राफिक्स लिमि. चेन्नई III	2004-05 143(1)	निर्धारिती ने "कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास" के प्रति लाभ तथा हानि लेखे में 37.31 करोड़ रूपये की राशि डेबिट की। आय की विवरणी के साथ दाखिल फार्म 3 सी डी से यह देखा गया था कि निर्धारिती कम्पनी लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र के अनुसार अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास का दावा करने की पात्र नहीं थी। कर योग्य आय संगणतित करते समय कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास वापस नहीं जोड़ा गया। विभाग ने उपचारी कार्रवाई आरम्भ कर दी।	8.11
4. मै. सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड हैदराबाद मध्य	2004-05 143(1)	देय कुल कर परिकलित करते समय अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए उद्ग्राह्य 7.21 करोड़ रूपये का ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया। ब्याज का अनुद्ग्रहण इस तथ्य के कारण था कि 59.90 करोड़ रूपये के भारत से बाहर प्रदत्त कर कुल देय कर निकालने में अग्रिम कर के रूप में मानने के लिए अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है माने गए थे। क्योंकि भारत से बाहर प्रदत्त करों को अग्रिम कर के रूप में मानने के लिए अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है इसलिए धारा 234 बी के अन्तर्गत ब्याज को अग्रिम कर के रूप में भारत से बाहर प्रदत्त करों को हिसाब में लिए बिना परिकलित किया जाना है।	7.22
अनुषंगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र			
5.मै. टाटा मोटर्स लिमि. सिटी 2 मुम्बई	2001-02 2004-05 **143(3)**	निर्धारण वर्ष 2001-02 में 13.66 करोड़ रूपये का मूल्य वर्द्धित क्रेडिट का अप्रयुक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क भी कर योग्य आय की संगणना करते समय वापस जोड़ा नहीं गया। निर्धारण वर्ष 2004-05 में निर्धारिती ने 21.69 करोड़ रूपये की धारा 244 ए के अन्तर्गत ब्याज प्राप्त की जिसमें से निर्धारिती ने केवल 15.84 करोड़ रूपये कराधान हेतु प्रस्तुत किए और 5.85 करोड़ रूपये की शेष राशि यह तर्क देते हुए प्रस्तुत नहीं की कि विभाग ने आई टी ए टी में एक अपील दायर की थी। तथापि निर्धारिती 21.69 करोड़ रूपये की सम्पूर्ण राशि पर कर भुगतान करने का दायी था न कि 15.84 करोड़ रूपये पर।	5.79(अ) 1.70
6. होण्डा मोटर साईकल एण्ड स्कूटर इण्डिया (प्रा.) लिमि. हरियाणा, गुड़गांव	2002-03 2003-04 143(3)	निर्धारण वर्ष 2002-03 में विदेशी कम्पनी को प्रदत तकनीकी सहायता, रायल्टी और तकनीकी जानकारी पर मूल्यह्रास के प्रति 4.59 करोड़ रूपये का स्रोत पर कर के माध्यम से कटौती के रूप में अनुमत किया गया व्यय यद्यपि घटाया नहीं गया था। तथापि ऐसा व्यय अस्वीकृति किया जाना चाहिए था। इसके अलावा 41.11 लाख रूपये को भूमि विकास खर्चे भवन की लागत में जोडे गए थे जिनपर 4.11 लाख रूपये का मूल्यह्रास गलत रूप से अनुमत किया गया। चूक के परिणामस्वरूप 4.63 करोड़ रूपये की हानि की अधिक संगणना हुई। निर्धारण वर्ष 2003-04 में निर्धारिती ने रायल्टी के प्रति 3.72 करोड़ रूपये तथा तकनीकी सहायता फीस के प्रति 2.90 करोड़ रूपये की कटौती का दावा उन्हें राजस्व व्यय के रूप में मानकर किया। निर्धारण अधिकारी ने स्रोत पर कर की कटौती	3.04 (अ)

		न करने के लिए 2.49 करोड़ रूपये अस्वीकृत किया और 4.14 करोड़ रूपये कटौती के रूप में अनुमत किया। चूंकि तकनीकी सहायता तथा रायल्टी माल के विनिर्माण या संसाधन में सम्भावित सहायता के लिए अदा की जाती है इसलिए यह अमूर्त परिसम्पत्तियों का भाग बनती है जो 62.53 लाख रूपये के लिए अर्हक हैं। इसके अलावा ये भुगतान नियंत्रक कम्पनी को किए गए थे। इस प्रकार 3.51 करोड़ रूपये की कटौती अधिक अनुमत की गई। इसके अतिरिक्त तकनीकी जानकारी पर 45.79 लाख रूपये का मूल्यह्रास कटौती के रूप में अनुमत किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यह मार्च 2003 में पुस्तकों में लेखांकित किया गया था इसलिए 180 दिनों से कम के लिए प्रयुक्त परिसम्पत्ति होने के कारण सामान्य मूल्यह्रास का आधा अनुज्ञेय था। इसलिए तकनीकी जानकारी पर मूल्यह्रास 22.89 लाख रूपये तक अधिक अनुमत किया गया। इसके अलावा भूमि विकास खर्चों पर 3.70 लाख रूपये का अधिक मूल्यह्रास वापस लिया जाना आवश्यक था। चूकों के परिणामस्वरूप 3.78 करोड़ रूपये तक हानि की अधिक संगणना हुई।	
7. मै. आइसर मोटर लिमिटेड इन्दौर	1992-93 143(3) 147/154 फरवरी 2006	निर्धारण वर्ष की सकारात्मक आय के 2/3 के बराबर अनवशोषित मूल्यह्रास के समंजन/निवेश मोक की मात्रा से संबंधित धारा 34 ए के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और अनवशोषित मूल्यह्रास 2002 की बाद की तारीख के अपीलीय आदेश के अनुसार 1.40 करोड़ रूपये के स्थान पर 2.96 करोड़ रूपये लिया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।	2.81
इस्पात क्षेत्र			
8. मै. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड दिल्ली III	2004-05 143(1)	निर्धारिती ने बोकारो इस्पात लिमिटेड के संबंध में निर्धारित तारीख के बाद भविष्य निधि को कर्मचारी के अंशदान के प्रति 29.36 करोड़ रूपये जमा किए। यह निधारिती की आय को वापस जोडे जाने चाहिए थे। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप 29.36 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 10.53 करोड़ रूपये का सम्भावित कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।	10.53
9. मै. सौभाग्य स्टील्स लिमि. चेन्नई- III	2004-05 143(1)	निर्धारिती ने 5.59 लाख रूपये की हानि स्वीकार करते हुए निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए आय की अपनी विवरणी दाखिल की थी। संक्षिप्त रीति में विवरणी संसाधित करते समय विवरणित हानि गलत रूप से 20.85 करोड़ रूपये (अग्रेनीत हानि सहित) ली गई थी।	7.46 (अ)
व्यापार क्षेत्र			
10. मै. इण्डियन पोटाश लिमि. चेन्नई I	2004-05 143(1)	निर्धारिती ने पूर्व वर्ष से संबंधित "अनुसूची-17-अन्य खर्चे" के अन्तर्गत शामिल 9.04 करोड़ रूपये की राशि के बट्टे के प्रति खर्च का गलत रूप से दावा किया। 31 मार्च 2004 को देनदारों, लेनदारों तथा बैकों से कर्ज के विदेशी मुद्रा शेष 31 मार्च 2004 को प्रचलित अन्त विनिमय दर के स्थान पर औसत विनिमय दर पर पुनः आरम्भ किए गए जिसके परिणामस्वरूप 8.80 करोड़ रूपये तक के लाभ को कम बताया गया।	7.80

11. मै. महेन्द्रा इण्टर ट्रेड लिमिटेड सिटी 2 मुम्बई	2002-03 143(1)	निर्धारिती ने लाभ तथा हानि लेखे को "बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण एवं कर्जों" के प्रति 7.31 करोड़ रूपये डेबिट किए और सम्पूर्ण राशि कारबार हानि के रूप में अनुमत की गई यद्यपि शर्तें जैसी कि लेखा पुस्तकों में उस ऋण के बट्टे खाते का यकीन दिलाने के लिए और अवसूलयनीयता की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए निर्धारित की पूरी करनी चाहिए, पूरी नहीं की गई थीं।	2.61
12. मै. सेम्बकार्प लोजिस्टक्स इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड चेन्नई III	2002-03 143(1)	निर्धारिती कम्पनी ने पूर्व अवधि से संबंधित समायोजनों के संबंध में 6.90 करोड़ रूपये की राशि का दावा किया। चूंकि ये मदें पूर्व वर्ष में खर्च की गई थीं इसलिए ये बाद के वर्षों में कटौती के रूप में अनुमत नहीं की जा सकतीं और अस्वीकृत की जानी अपेक्षित थीं।	2.46 (अ)

ऐसे ही 14 मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 28 से 41** पर प्रदर्शित हैं।

1.5.28 प्रावधानों तथा देयताओं की गलत अनुमति

अधिनियम के अन्तर्गत उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखे में किया गया प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है जबकि अन्य किए गए प्रावधान कटौती के लिए अर्हक नहीं है। यह न्याय निर्णीत* है कि कटौती किए जाने वाली हानि के लिए यह वास्तव में उत्पन्न या किया गया होना चाहिए और न कि प्रत्याशित जो भविष्य में होना निश्चित है। यह भी न्याय निर्णीत$^{\alpha}$ है कि केवल ऐसा व्यय, जो लेखाकरण की व्यापारिक प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष में उपचित होता है, उसी वर्ष के लाभों से अनुमेय हैं।

लेखापरीक्षा में 165.48 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 76 मामलों में उपर्युक्त प्रावधानों का प्रभाव देने में गलतियां देखी गईं। ऐसे एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

1.5.28.1 दिल्ली IV प्रभार में निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए **मै. डाटा एक्सेस (इण्डिया) लिमिटेड** का निर्धारण 107.62 करोड़ रूपये की हानि अवधारित कर अप्रैल 2005 में संक्षिप्त रीति में संसाधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने 183.77 करोड़ रूपये के खर्चों का प्रावधान किया और इसे शीर्ष "चालू देयताएं तथा प्रावधान" के अन्तर्गत तुलन पत्र में दर्शाया। उपर्युक्त शीर्ष के ब्यौरे के नीचे दिए गए नोट के अनुसार निर्धारिती ने घोषित किया कि खर्चों के प्रावधानों में 171.36 करोड़ रूपये की देयता शामिल है जो वास्तविक बिलों पर आधारित नहीं है। इस प्रकार यह एक अनिश्चित देयता थी और कर योग्य आय को वापस जोडी जानी चाहिए थी जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 171.36 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 61.48 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है।

* सी आई टी बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक (151 आई टी आर 446)

$^{\alpha}$ **82 आई टी आर 364 केदारनाथ जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड बनाम सी आई टी (सर्वोच्च न्यायालय)**

* *सी अ*

$^{\alpha}$ *82 ज*

1.5.28.2 ऐसे तेरह मामले नीचे तालिक 10 में दर्शाए गए हैं:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 10 : प्रावधानों तथा देयताओं की गलत अनुमति

क्रम सं./निर्धारिती/प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. पेन्टा मीडिया ग्राफिक्स प्रा. लि चेन्नई III	2002-03 143(3)/263	निधारिती ने अपनी सहायक कम्पनियों को 126.33 करोड़ रूपये के अग्रिम दिए जिनके लिए कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया। निर्धारिती ने कर्जों पर ब्याज अदा किया परन्तु ब्याज प्रभारित किए बिना अपनी सहायक कम्पनियों को अग्रिम दिए। इसलिए अनुपातिक ब्याज तथा वित्त प्रभार अस्वीकृत किए जाने अपेक्षित थे जो नहीं किया गया था।	5.56
2. मै.डाटा एक्सेस (इण्डिया) लिमि. दिल्ली IV	2003-04 144	निर्धारिती ने 9.07 करोड़ रूपये की ब्याज आय प्राप्त की जिसपर "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष को अन्तर्गत कर लगाया जाना चाहिए था। चूंकि अन्य स्रोतों से आय अग्रेनीत कारबार हानियों के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है इसलिए इस पर कर लगाया जाना चाहिए।	4.57
3. मै. पोलारिस साफ्टवेयर लेब लिमि. चेन्नई III	2002-03 2003-04 143(3)	पूर्व वर्षों में अस्वीकतृ "निष्पादन पुरस्कार के लिए प्रावधान" के प्रति 10 ए यूनिटों तथा 80 एच एच ई यूनिटों के संबंध में 4.79 करोड़ रूपये तथा 2.71 करोड़ रूपये की राशियां चालू वर्ष में भुगतान आधार पर अब दावा की गई थीं और "अपूर्ण ठेकों पर अनुमानित हानि के लिए प्रावधान अवलेखित किया गया"। तथापि उपर्युक्त भुगतान की कोई ऐसी अस्वीकृति पूर्ववर्षों के अभिलेखों में नहीं पाई गई और चालू वर्ष के दौरान किए गए उपर्युक्त दावों से संबंधित अभिलेखों में कोई ब्यौरे नहीं पाए गए इसके अलावा विदेशी मुद्रा में वृत्तिक प्रभारों पर खर्च के प्रति किए गए 1.12 करोड़ रूपये तथा 2.93 करोड़ रूपये के भुगतान पर कोई टी डी एस नहीं काटा गया।	4.09
4. मै. मोजर बेअर इण्डिया लिमि. दिल्ली II	2003-04 143(3)	निर्धारिती धारा 35 ए बी के अन्तर्गत कटौती का पात्र नहीं था क्योंकि निर्धारण वर्ष 1999-2000 से ऐसी अमूर्त परिसम्पत्तियों यथा तकनीकी जानकारी, पेटेन्ट, स्वत्वाधिकार आदि पर केवल 25 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास अनुमेय था। इसलिए निर्धारिती मूल्यह्रास के रूप में (8.21 करोड़ रूपये की अमूर्त परिसम्पत्तियों पर) 9.58 करोड़ रूपये की अनुमत कटौती के स्थान पर केवल 2.05 करोड़ रूपये की कटौती का पात्र था।	3.13

6. मै. याम्हा मोटर्स इण्डिया लिमिटेड दिल्ली IV	**2003-04 143(3)**	निर्धारिती में उपदान, सेवा निवृत्ति, पेंशन, बिक्री बाद सेवाएं और वारंटियों के प्रति 14.97 करोड़ रूपये की राशि के प्रावधान किए। चूंकि राशि मात्र एक प्रावधान थी न कि एक अभिनिश्चित देयता इसलिए यह अनुमेय व्यय नहीं था और वापस जोड़ा जाना चाहिए था।	5.50
7. मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड सिटी 2 मुम्बई	**2001-02 143(3)**	लाभ तथा हानि लेखे में डेबिट 13.16 करोड़ रूपये की राशि के स्टाफ कल्याण योजना के प्रावधान कर योग्य आय की संगणना करते समय वापस नहीं जोडे गए थे, परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ।	5.20 **(अ)**
इस्पात क्षेत्र			
8. मै. हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि. गुड़गांव	2002-03 143(3) 2003-04 143(1)	लेखाकरण की व्यापारित प्रणाली अपना रही निधारिती कम्पनी ने प्राप्य ब्याज के लिए 2.80 करोड़ रूपये यह कहते हुए क्रेडिट नहीं किया कि यह अनुसूचित बैकों तथा लोक वित्त संस्थाओं को उधारों पर देय था। अधिनियम में प्रावधान है कि उपचित आय तथा वास्तविक भुगतान पर देय ब्याज की कटौती कर को प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2003-04 में अनुसूचित बैंकों तथा लोक वित्त संस्थाओं को देय 2.34 करोड़ रूपये का ब्याज अस्वीकृत नहीं किया गया था यद्यपि यह विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से पूर्व अदा नहीं किया गया था।	2.46
9. मै. ऊषा मार्टिन लिमि. झारखण्ड रांची	2003-04 143(3) 2004-05 143(1)	धारा 115 जे बी के अन्तर्गत कुल आय संगणित करते समय निर्धारण अधिकारी ने 5.13 करोड़ रूपये की राशि के करों के प्रावधानों को जोडने में चूक की। इसके अलावा निर्धारण वर्ष 2004-05 की आय की संगणना में 7.75 करोड़ रूपये के करों का प्रावधान वापस जोड़े जाने में भी चूक की।	3.28
10. मै. सन्देश स्प्रिंगस प्रा. लिमि. लुधियाना मध्य	2002-03 153A /144	निर्धारण अधिकारी ने 7.65 करोड़ रूपये के स्थान पर गलती से 2.94 करोड़ रूपये की मांग उठाई परिणामस्वरूप 4.71 करोड़ रूपये की कम मांग हुई। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।	4.71
व्यापार क्षेत्र			
11. मै. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड दिल्ली VI	2004-05 143(1)	12.06 करोड़ रूपये के पूर्वावधि खर्चे " लाभ तथा हानि लेखे " को प्रभारित किए गए परन्तु वापस नहीं जोडे गए। गलत के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ।	5.06
12. एम एम टी सी लिमिटेड दिल्ली II	2002-03 2003-04 2004-05 143(3)	अनिश्चित देयता होने पर 13.07 करोड़ रूपये के अग्रिम तथा 7.15 करोड़ रूपये के पूर्वावधि खर्च के प्रावधान की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ। इसके अलावा 21.0 लाख रूपये के ब्याज का कम उद्ग्राह्य भी देखने में आया।	9.88
13. मै. ग्लोबल	2003-04 143(3)	निर्धारिती ने देय परन्तु लेखा पुस्तकों में प्रावधान	3.05

इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नोलॉजीज़ लिमि. सिटी I पूणे		न की गई ब्याज के कारण 8.30 करोड़ रूपये की कटौती का दावा किया और विभाग द्वारा उसे अनुमत किया गया। इसके अलावा लेखे की टिप्पणी 12 स्पष्ट करती है कि ये रक्षित कर्जों/बाण्डों पर ब्याज के संबंध में प्रावधान थे। चूंकि उपर्युक्त प्रावधान लेखे में दर्ज नहीं किए गए थे इसलिए धारा 43 बी में सम्मिलित प्रावधानों के मद्देनजर अनुमेय व्यय नहीं थे। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।	

ऐसे ही 24 मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 42 से 65** पर प्रदर्शित हैं।

1.5.29 पूंजीगत तथा गैर कारबार व्यय की गलत अनुमति

कारबार या वृत्ति के प्रयोजन हेतु पूर्णतया तथा एकमात्र रूप से निधारित तथा किये गये पूंजीगत व्यय की प्रकृति में न होने पर कोई व्यय कटौती के रूप में अनुमेय है। यह न्यायनिर्णीत[α] है कि किसी करार के अधीन अपने विदेशी सहयोगी को तकनीकी जानकारी के रूप में निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय पूंजीगत के रूप में माना जाना है।

लेखापरीक्षा में 61.11 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 58 मामलों में उपर्युक्त प्रावधानों का प्रभाव देने में गलतियां देखी गईं। ऐसे दस मामले नीचे तालिका 11 में दिए गए हैः

(करोड़ रूपये में)

तालिका : 11 पूंजीगत तथा गैर कारबार व्यय की गलत अनुमति

क्रम संख्या निर्धारिती/प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. आफ्टेक इन्फोसिस लिमि. सिटी 6 मुम्बई	2003-04 143(3) 2004-05 143(1)	निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में क्रमशः 3.90 करोड़ रूपये तथा 16.61 करोड़ रूपये की कटौती साफ्टवेयर विकास खर्चों के लिए अनुमत की गई। कथित खर्चों से प्राप्त हाने वाला लाभ बने रहने की प्रवृत्ति का था और उसे प्रकृत्ति में पूंजीगत के रूप में माना जाना अपेक्षित था तथा 60 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास अनुमेय था। गलती के परिणामस्वरूप 8.20 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ। विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।	2.96
2. मै. आर्बीटेक सोल्यूशंस लिमि.सिटी 8 मुम्बई	2003-04 143(3)	वर्ष के दौरान उत्पाद विकास खर्चों के लिए 6.14 करोड़ रूपये की कटौती अनुमत की गई। क्योंकि यह पूंजीगत स्वरूप का था इसलिए वह कारबार खर्चों के रूप में अनुमेय नहीं था। विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।	2.25
3.मै. सीमेन्स इन्फार्मेशन सिस्टम लिमिटेड नगर	2002-03 143(3)	साफ्टवेयर की लागत तथा हार्डवेयर की लागत के लिए 14.99 करोड़ रूपये की कटौती राजस्व व्यय के रूप में अनुमत की गई। क्योंकि ये मदें निधारिती को बने रहने की प्रकृत्ति का लाभ देने वाली होंगी	2.14

[α] ***23 टेक्समैन 66 (स न्या)-साइंटिफिक इंजीनियरिंग होम (प्रा.) लिमि. बनाम सी आई टी***

7 मुम्बई		इसलिए कथित खर्चे पूंजीगत व्यय के रूप में माने जाने चाहिए थे। इसके परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास अनुमत करने के बाद 5.99 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।	

$^{\alpha}$ **23 टैक्समेन 66 (सर्वोच्च न्यायालय) साइंटिफिक इजिनियंरिंग होम (प्रा.) लिमिटेड बनाम सी आई टी**

इण्डिया (प्रा.) लिमि. दिल्ली V	143(3)	परिसम्पत्तियों के लिए 4.85 करोड़ रूपये का व्यय गलत रूप में अनुमत किया गया क्योंकि यह पूंजीगत प्रकृति का है।	2.4
अनुषंगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र			
5. मै. टाटा मोटस लिमिटेड सिटी 2 मुम्बई	2000-01 143(3)	निर्धारिती ने एस ए पी कार्यक्रम* नाम वाले साफ्टवेयर के विकास के लिए किए गए व्यय के प्रति 23.02 करोड़ रूपये की कटौती का दावा किया और अनुमत किया गया। चूंकि इस कार्यक्रम से लाभ बने रहने की प्राकृति का था इसलिए व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना अपेक्षित था और चालीस प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास अनुमत किया जाना था। राजस्व व्यय के रूप में उसको मानने की गलती और कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप 13.81 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ। विभाग ने उत्तर दिया कि व्यय प्रकृत्ति में राजस्व था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कि निर्धारण वर्ष 2001-02 के दौरान दो निर्धारितियों के मामले में सदृश व्यय को पूंजीगत के रूप में माना गया था।	5.32 (अ)
6. मै. ह्यून्डई मोटर इण्डिया लिमिटेड चेन्नई I	2003-04 143(3)	निर्धारिती ने "रायल्टी" के अन्तर्गत तकनीकी हस्तान्तरण फीस के लिए 126.55 करोड़ रूपये डेबिट किया जिसमें सितम्बर 2002 में किए गए प्रौद्योगिकी तथा रायल्टी करार के अनुसरण में नियंत्रक कम्पनी मै. ह्यून्डई मोटर कम्पनी, कोरिया को प्रदत्त "तकनीकी जानकारी" के लिए 9.63 करोड़ रूपये की राशि शामिल थी। यह पाया गया है कि यद्यपि निधारिती द्वारा बेचे गए उत्पादों की निवल बिक्री कीमत पर विशिष्ट प्रतिशतता पर समय समय पर किया गया रायल्टी भुगतान एक अनुमेय व्यय था तथापि तकनीकी जानकारी के प्रति एक मुश्त भुगतान उपर्युक्त न्यायिक निर्णय के मद्देनजर उचित मूल्यह्रास यथावत अनुमत कर पूंजीकृत किया जाना अपेक्षित था। तकनीकी जानकारी पर भुगतान की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप 7.07 करोड़ रूपये तक की आय का अवनिर्धारण हुआ।	2.91

* *मै. एस ए पी एशिया सिस्टम्स*

7. मै. जमना आटो इण्डस्ट्रीज लिमि. हरियाणा यमुनानगर	2003-04 143(3)	बैंको तथा लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज में परिवर्तित 5.71 करोड़ रूपये का ब्याज इसे वास्तव में अदा किया हुआ मानकर कटौती के रूप में गलत रूप से अनुमत किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 5.71 करोड़ की हानि की अधिक संगणना हुई।	2.09

* **मैसर्स एस ए पी एशिया सिस्टम्स**

8. मै. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. दिल्ली III	2003-04 143(3)	"लेखे पर टिप्पणियां" के अनुसार निर्धारिती ने मै. दामोदर घाटी निगम को विद्युत तथा ईंधन बिलों के लिए विलम्बित भुगतान हेतु अधिभार के प्रति 44.37 करोड़ रूपये अदा किया। निर्धारण अधिकारी ने पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजनों के रूप में 44.37 करोड़ रूपये में से केवल 14.09 करोड़ रूपये को वापस जोड़ा। 30.28 करोड़ रूपये की शेष राशि भी वापस जोडी जानी थी क्योंकि व्यय शास्ति के प्रकृति का था। विभाग ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की कि अधिभार का विलम्बित भुगतान मुआवजे की प्रकृति का था न कि शास्ति। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित समय के भीतर वास्तविक प्रभारों का भुगतान करने में विफलता के कारण वास्तविक प्रभारों के अतिरिक्त कोई भुगतान शास्ति के प्रकृति का माना जाना है। तथापि विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि केवल 14.09 करोड़ रूपये ही क्यों अस्वीकृति किए गए थे।	11.11
9. मै. सदर्न आयरन एण्ड स्टील कं. लिमि. कोयम्बटूर I	2002-03 143(1)	निर्धारिती ने सावधि कर्ज पर ब्याज के लिए धारा 43 बी के अन्तर्गत कटौती के रूप में 11.46 करोड़ रूपये की राशि का दावा किया जो निर्धारण वर्ष 2001-02 में अस्वीकृति किया गया। निर्धारिती ने इस आधार पर उसका दावा किया कि जब बैकों को देय ब्याज कर्ज में परिवर्तित कर दी गई तो देय ब्याज अदा किया गया माना जाना है। ब्याज के वित्त पोषण द्वारा देय ब्याज का कर्ज में परिवर्तन निर्धारिती द्वारा किया गया भुगतान नहीं बनता है। एक बार इसके कर्ज में परिवर्तन होने से यह राजस्व व्यय होना समाप्त हो जाता है और अधिनियम की धारा 36 या 37 के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।	4.09 (अ)
10. मै. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. दिल्ली III	2004-05 143(1)	निर्धारिती ने पूर्वावधि व्यय (59.90 करोड़ रूपये के पूर्वावधि व्यय तथा 25.23 करोड़ रूपये की पूर्वावधि आय का निवल निकालने	2.91

		के बाद) के रूप में लाभ तथा हानि लेखे को 34.67 करोड़ रूपये डेबिट किया। 59.90 करोड़ रूपये के पूर्वावधि व्यय में से आय की संगणना में केवल 51.79 करोड़ रूपये वापस जोड़ा गया। शेष 8.11 करोड़ रूपये की राशि को वापस जोड़ने में विफलता के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ।	

ऐसे ही पन्द्रह मामले **परिशिष्ट 4 के क्रमसंख्या 66 से 80** तक पर प्रदर्शित हैं।

1.5.30 अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गलत संगणना

अधिनियम की धारा 115 जे बी के प्रावधानों के अनुसार जहाँ 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद आरम्भ निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के संबंध में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत यथा संगणित कुल आय पर देय आयकर खाता लाभ के 7.5 प्रतिशत से कम है वहाँ ऐसा खाता लाभ निर्धारिती की कुल आय होनी मानी जायगी और निर्धारिती ऐसी कुल आय पर 7.5 प्रतिशत की दर पर आयकर भुगतान करने का दायी है।

लेखापरीक्षा में खाता लाभों की गलत संगणना और अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण 200.03 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 35 मामलों में गलतियां देखी गईं। दो ऐसे मामलों पर नीचे चर्चा की गई हैः

1.5.30.1 सिटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक आटोमाबाइल कम्पनी **मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड** के निर्धारण क्रमशः जनवरी 2006 में संवीक्षा के बाद और जुलाई 2005 में संक्षिप्त रीति में पूरे किए गए। कर अधिनियम की धारा 115 जे बी के अन्तर्गत अदा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित अयर्थाथताओं का पता चलाः

खाता लाभ परिकलित करते समय 576.55 करोड़ रूपये का आस्थगित कर, 10.58 करोड़ रूपये के स्टाफ कल्याण योजनाओं के प्रावधान, 74.30 करोड़ रूपये के निवेशों के मूल्य में ह्रास का प्रावधान, 14.87 करोड़ रूपये का पेंशन के लिए प्रावधान, 97.94 करोड़ रूपये का अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा 69 लाख रूपये की मात्राओं पर हानि के लिए प्रावधान पर वृद्धि के लिए विचार नहीं किया गया था। चूंकि लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट की गईं ये राशियां मात्र प्रावधान थीं न कि अभिनिश्चित देयताएं, इसलिए ये खाता लाभ को जोडी जानी अपेक्षित थीं। खाता लाभ भी 14.22 करोड़ रूपये तक धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत कटौती के पात्र लाभों और 152.97 करोड़ रूपये की अग्रेनीत हानियों के कारण कम किया गया था यद्यपि धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत कटौती अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत संगणना में अनुमत नहीं की गई क्योंकि कोई लाभ उपलब्ध नहीं था। चालू वर्ष की लेखा पुस्तकों में कोई हानि भी नहीं थी। इन चूकों के परिणामस्वरूप धारा 244 ए के अन्तर्गत 7.38 करोड़ रूपये के ब्याज आहरण सहित 86.18 करोड़ रूपये के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 972.12 करोड़ रूपये के खाता लाभ का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने बताया कि निर्धारिती से सभी देयताओं, जो कानूनन तथा ठेकागत रूप से देय हैं, के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है। तथापि निर्धारण धारा 148 के अन्तर्गत पुनः खोला गया है। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रावधान अभिनिश्चित नहीं हैं परन्तु स्वरूप में आकस्मिक हैं इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टगत अनुमेय नहीं हैं।

1.5.30.2 सिटी 2 मुम्बई प्रभार मे निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए **मै. टाटा स्टील लिमिटेड** के निर्धारण क्रमशः फरवरी 2005 तथा मार्च 2006 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए। निर्धारण वर्ष 2002-03 के संबंध में संशोधन आदेश जनवरी 2006 में पारित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि विभाग ने कर मांग अभिनिश्चित करते समय धारा 234-बी के अन्तर्गत ब्याज प्रभारित करने से पूर्व क्रमशः धारा 115 जे ए ए के अन्तर्गत 53.83 करोड़ रूपये तथा 126.92 करोड़ रूपये का क्रेडिट अनुमत किया। धारा 234 बी के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज केवल अग्रिम कर/टी डी एस का क्रेडिट देने के बाद परिकलित किया जाना चाहिए। एम ए टी क्रेडिट को अग्रिम कर या पूर्व प्रदत्त कर प्रकृति में मानने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। चूक के परिणामस्वरूप 69.64 करोड़ रूपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

पांच ऐसे मामले नीचे तालिका 12 में दिए गए हैं :

(करोड़ रूपये में)

तालिका 12: अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गलत संगणना

क्र.सं./निर्धारिती/प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. डस्क वैली टेक्नालाजीज लिमि. दिल्ली IV	2002-03 143(3)	2.41 करोड़ रूपये तथा 12.93 लाख रूपये की कर देयता के साथ अधिनियम के सामान्य तथा विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय क्रमशः 4.81 करोड़ रूपये तथा 1.69 करोड़ रूपये संगणित की गई। इस प्रकार निधारिती को सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत कर भुगतान करना था क्योंकि यह उच्च की ओर था परन्तु इसके बजाय निर्धारिती ने विशेष प्रावधान के अन्तर्गत कर अदा किया।	2.28
इस्पात क्षेत्र			
2. मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड सिटी-2 मुम्बई	2002-03 143(3)	निर्धारिती ने धारा 115-जे बी के अन्तर्गत 132.12 करोड़ रूपये की आय की विवरणी दी परन्तु विवरणी धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित की गई और आय "शून्य" अपनाई गई और 17.18 करोड़ रूपये के ब्याज सहित सम्पूर्ण पूर्व प्रदत्त कर मंजूर किए गए तथा मार्च 2004 में निर्धारिती को अदा किया गया। इस गलती का मार्च 2005 में 10.44 करोड़ रूपये की मांग कर संशोधन किया गया। तथापि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को प्रदत्त 17.18 करोड़ रूपये के प्रतिदाय पर ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप धारा 234 डी के अन्तर्गत ब्याज सहित ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।	18.21

3. मै. टाटा स्टील लिमि. सिटी 2 मुम्बई	2003-04 143 (3)	निर्धारण अधिकारी ने अनुमेय 123.89 करोड़ रूपये के स्थान पर निर्धारण वर्ष 1998-99, 1999-00 तथा 2000-01 के लिए धारा 115 जे ए ए के अन्तर्गत 126.92 करोड़ रूपये का एम ए टी क्रेडिट अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप 3.02 करोड़ रूपये का अधिक क्रेडिट हुआ।	3.31
अनुषंगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र			
4. मै. टाटा मोटर्स लिमि. सिटी 2 मुम्बई	2000-01 143(3)	निर्धारिती ने मंदी बिक्री के रूप में जमशेदपुर तथा पूणे डिवीजन में अपनी परिसम्पत्तियों की बिक्री के कारण 150.14 करोड़ रूपये से 253.24 करोड़ रूपये तक पूंजीगत लाभों में वृद्धि के कारण फरवरी 2002 में संशोधित विवरणी दाखिल की। संव्यवहार लाभ तथा हानि लेखे के माध्यम से नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निवल लाभ छोटी संख्या में परिकलित किया गया। आगे इसके परिणामस्वरूप खाता लाभ की कम संगणना हुई।	11.90
5.मै. प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमि. सिटी 10 मुम्बई	2001-02 143(3)	धारा 115 जे बी के अन्तर्गत खाता लाभ निकालते समय 40.86 करोड़ रूपये के निवेश के मूल्य में ह्रास के प्रावधान और 37.97 लाख रूपये के अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर वृद्धि के लिए ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप 41.24 करोड़ रूपये के खाता लाभ का अवनिर्धारण हुआ। विभाग ने बताया कि मै. अपोलो टायर्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 115 जे बी के अन्तर्गत संगणना में कोई समायोजन नहीं किया जा सकता जैसाकि निर्धारिती द्वारा प्रावधान किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधिनियम में प्रावधानित समायोजनों को करने से मना नहीं करता है। उपर्युक्त देयताएं स्वरूप में आकस्मिक हैं और धारा 115 जे बी (2) के अन्तर्गत आती हैं जिनको खाता लाभ की संगणना करते समय जोडा जाना अपेक्षित है।	3.49

ऐसे दो मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 81 से 82** पर प्रदर्शित हैं।

1.5.31 पूंजीगत अभिलाभों की गलत संगणना

किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न कोई लाभ तथा अभिलाभ शीर्ष "पूंजीगत अभिलाभ" के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य होगें और उस वर्ष में कर योग्य हैं जिसमें हस्तान्तरण होता है। दीघावधि परिसम्पत्तियों के संबंध में पूंजीगत अभिलाभों की संगणना की पद्धति अधिग्रहण

की लागत और ऐसे हस्तान्तरण के संबंध में पूर्णतया तथा एकमात्र किया गया व्यय कम करने का प्रावधान करती है।

निर्धारण अधिकारी ने तीन मामलों मे उपर्युक्त प्रावधानों को सहीप्रकार लागू नहीं किया परिणामस्वरूप 29.57 करोड़ रूपये का कर प्रभाव हुआ। एक मामला सोदाहरण नीचे दिया गया हैः

सिटी II मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक कम्पनी **मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड** का निर्धारण मार्च 2003 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती की शीर्ष "दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ" के अन्तर्गत 55.53 करोड़ रूपये की एक आय थी। तथापि दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों से आय की संगणना में केवल 5.53 करोड़ रूपये की राशि को हिसाब में लिया गया था। इस प्रकार 50.00 करोड़ रूपये की आय अवनिर्धारित हुई थी। इसके अलावा निर्धारिती ने मै. ल्यूसेंट टेकनालाजीज इंटरनेशनल इंक यू एस ए के साथ मार्च 2000 में शेयर बिक्री करार किया। निर्धारण अधिकारी ने ऐसे शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभ संगणित करते समय निर्धारिती द्वारा प्राप्त केवल आरम्भिक भुगतान पर विचार किया गया। प्राप्त बाद का प्रतिफल इस तथ्य के बावजूद हिसाब में नहीं लिया गया कि नवम्बर 2004 में इस आशय का निर्धारिती द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके परिणामस्वरूप 21.84 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ। उपर्युक्त चूकों के परिणामस्वरूप 27.65 करोड़ रूपये (सम्भावित) के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर विभाग ने जनवरी 2006 में निर्धारण में सुधार किया।

दो ऐसे ही मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 83 से 84** पर प्रदर्शित हैं।

1.5.32 मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति

निधारिती के पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वामित्व वाली तथा कारबार या वृत्ति के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद अधिप्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियां होने पर जानकारी, पेटेन्ट, स्वत्वाधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेन्चाइजी या समान प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार पर निर्धारित लागू दरों पर मूल्यह्रास अनुमेय है। यदि चालू वर्ष में कोई सकारात्मक आय नहीं हुई है तो समंजन के लिए हानियां बाद के वर्षों को अग्रेनीत की जा सकती हैं। पूंजीगत अभिलाभों के अन्तर्गत हानि केवल उसी वर्ष में तथा बाद के वर्षों में पूंजीगत अभिलाभों से लाभ के प्रति समंजित की जा सकती है। धारा 10 ए/10 बी का लाभ उठाने के लिए उपक्रम के कारबार से संबंधित हानि अग्रेनीत या समंजित नहीं होगी जहां ऐसी हानि निर्धारण वर्ष 2000-01 से पूर्व किसी निर्धारण वर्ष से संबंध में रखती है।

लेखापरीक्षा में 369.03 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 65 मामलों में उपर्युक्त प्रावधानों के अननुपालन से संबंधित गलतियां देखी गईं। ऐसे चार मामले नीचे दिए गए हैं:

1.5.32.1 सिटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी **मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड** के निर्धारण क्रमशः जनवरी 2006 में संवीक्षा के बाद तथा जुलाई 2005 में संक्षिप्त रीति में पूर्ण किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने धारा 115 जे बी के अन्तर्गत कर अदा किया। अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय 1149.62 करोड़

रूपये के अग्रेनीत कारबार हानि तथा मूल्यह्रास का समंजन करने के बाद 118.73 करोड़ रूपये संगणित की गई जबकि उपलब्ध अग्रेनीत कारबार हानि तथा मूल्यह्रास केवल 472.35 करोड़ रूपये था। यदि अग्रेनीत हानि तथा मूल्यह्रास की सही राशि समंजित की जाती तो अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अनतर्गत देय कर की अपेक्षा अधिक होता और इसलिए उसी रूप में कर लगाया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप 261.13 करोड़ रूपये के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 677.27 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और उपचारी कार्रवाई की।

1.5.32.2 सिटी 7 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक व्यापार कम्पनी **मै. प्रोक्टर एण्ड गेम्बल हाउस प्रोडक्टस लिमिटेड** के निर्धारण क्रमशः मार्च 2005, मार्च 2006 तथा जनवरी 2005 में संवीक्षा बाद तथा संक्षिप्त रीति में पूर्ण किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 वर्षों के दौरान 1998-99 तथा 1999-2000 वर्षों से संबंधित 75.83 करोड़ रूपये की अग्रेनीत हानियों का समंजन अनुमत किया जबकि समंजन किए जाने के लिए उक्त निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध अग्रानीत हानियां केवल 6.93 करोड़ रूपये थी। यह देखा गया कि हानियों के आंकडे निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए विवरणी के साथ भेजे गए निर्धारिती के विवरण से अपनाए गए। इस प्रकार हानियों का अग्रानीत समंजन 68.90 करोड़ रूपये तक अधिक हो गया। इसके अलावा निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2002-03 के दौरान कारबार आय से 91.65 लाख रूपये की दीर्घावधि पूंजीगत हानि का समंजन गलत रूप से अनुमत किया गया। उपर्युक्त चूकों के परिणामस्वरूप कुल 69.82 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ और 33.64 करोड़ रूपये के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

1.5.32.3 सिटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए एक कम्पनी **मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड** के निर्धारण मार्च 2006 में संवीक्षा के बाद पूर्ण किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती की 518.65 करोड़ रूपये की कारबार आय थी। निर्धारण वर्ष 2002-03 के अग्रानीत मूल्यह्रास सहित अग्रानीत मूल्यह्रास 820.65 करोड़ रूपये बनता था। अग्रानीत मूल्यह्रास के प्रति समंजन करने के लिए उपर्युक्त कारबार आय अनुमत करने को बाद अग्रानीत किए जाने के लिए अनुमत मूल्यह्रास की शेष राशि 302.00 करोड़ रूपये बनती है जबकि विभाग ने अग्रानीत किए जाने के लिए मूल्यह्रास की राशि 378.67 करोड़ रूपये अनुमत की, परिणामस्वरूप 28.17 करोड़ रूपये के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 76.67 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास की अधिक अनुमति हुई। विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया कि उपचारी कार्रवाई की जायगी।

1.5.32.4 सिटी 7 मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक साफ्टवेयर कम्पनी **मै. सीमेन्स इन्फार्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड** का निर्धारण फरवरी 2005 में संवीक्षा के बाद पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने 45.22 करोड़ रूपये की कारबार आय के प्रति 72.76 करोड़ रूपये की धारा 10 ए के अन्तर्गत छूट अनुमत की परिणामस्वरूप 27.54 करोड़ रूपये की निवल हानि हुई। परिणामी हानि अग्रानीत किए जाने के लिए अनुमत की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20.02 करोड़ रूपये की कारबार हानि तथा निर्धारण वर्ष 1994-95 से 2001-02 तक की अवधि से संबंधित 33.06 करोड़ रूपये का अनवशोषित मूल्यह्रास भी अग्रानीत किया जाना अनुमत किया गया। इसके परिणामस्वरूप 28.78 करोड़ रूपये (सम्भावित) के

कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 80.62 करोड़ रूपये की हानियों का अग्रेनयन गलत अनुमत हुआ।

एक ऐसा ही मामला नीचे तालिका 13 में दर्शाया गया हैः

(करोड़ रूपये में)

तालिका 13: मूल्यह्रास तथा हानियों के ससमंजन की गलत अनुमति

क्र सं. निर्धारिती/प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
व्यापार क्षेत्र			
1. मै. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद IV	2002-03 से 2004-05 143(3) 2005-06 143(1)	निर्धारिती को कम्पनी अधिनियम के अनुसार लाभ तथा हानि लेखे को मूल्यह्रास का डेबिट अनुमत किया गया। तथापि 39.91 करोड़ रूपये, 42.27 करोड़ रूपये, 53.98 करोड़ रूपये तथा 63.84 करोड़ रूपये, जो लाभ तथा हानि लेखे को पहले ही डेबिट किये गये, के मूल्यह्रास के स्थान पर निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2005-06 के लिए उत्पादन यूनिट तथा मुख्यालय दोनों की परिसम्पत्तियों पर कम्पनी अधिनयिम के अनुसार मूल्यह्रास के प्रति क्रमशः 35.60 करोड़ रूपये, 37.35 करोड़ रूपये, 52.92 करोड़ रूपये तथा 63.33 करोड़ रूपये की राशियां वापस जोड़ी गई थीं। सही मूल्यह्रास को वापस जोड़ने में चूक के परिणामस्वरूप इन वर्षों के लिए 10.80 करोड़ रूपये के कुल मूल्यह्रास की अधिक अनुमति हुई।	3.91

ऐसे पांच मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 85 से 89** पर प्रदर्शित हैं

1.5.33 अन्त स्टाक का कम मूल्यांकन

1.4.99 से प्रभावी अधिनियम की धारा 145 ए के अन्तर्गत "कारबार तथा वृत्ति से लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आय अवधारित करने के प्रयोजन हेतु माल सूची के मूल्यांकन का इसकी अवस्थिति के स्थान को वस्तुओं को लाने के लिए निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्रदत्त या उठाए गए करों और मूल्यांकन की तारीख को स्थिति शामिल करने के लिए समायोजन होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क "संव्यवहार मूल्य" पर उद्ग्राह्य है भले ही बिक्रियां भिन्न ग्राहकों/क्रेताओं को विभिन्न कीमतों पर की गई हों। "संव्यवहार मूल्य" का अर्थ किसी राशि, जो सामान की बिक्री के लिए क्रेता द्वारा प्रदत्त या देय है, को शामिल करना है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त प्रावधानों का 33.38 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले छह मामलों में अन्त स्टाक के मूल्यांकन में सही प्रकार अनुपालन नहीं किया गया। इनमें से तीन मामले नीचे तालिका 14 में दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रूपये में)

तालिका 14: अन्त स्टाक का कम मूल्यांकन

क्र सं. निर्धारिती/प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
अनुषंगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र			
1. मै. एक्साइड इण्डस्ट्रीज लिमि. कोलकाता I	2002-03 2003-04 143(3)	उत्पाद शुल्क सहित अन्तस्टाक इन वर्षों में क्रमशः 74.24 करोड़ रूपये तथा 99.97 करोड़ रूपये के स्थान पर 57.51 करोड़ रूपये तथा 62.56 करोड़ रूपये पर गलत रूप से मूल्यांकित किया गया। चूक के परिणामस्वरूप वर्ष के लाभ की कम संगणना हुई और आय का परिणामी कम मूल्यांकन हुआ। निर्धारण अधिकारी ने तर्क दिया कि निर्धारिती के मुख्य उत्पादों में से कुछ उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में मुक्त उत्पादों के मूल्य को हिसाब में नहीं लिया गया है।	13.57
2. मै. एक्साइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता I	2001-02 2002-03 2003-04 143(3)	आय की संगणना में निर्धारिती ने धारा 43 बी के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क की अलग कटौती का दावा करने की प्रथा अपनाई और अगले निर्धारण वर्ष के दौरान उसी राशि को वापस जोडा यद्यपि उत्पाद शुल्क की राशि लाभ तथा हानि लेखे में डेबिट की गई। उसके लिए अलग कटौती से संबंधित वर्ष के लिए दोहरी कटौती हुई। यद्यपि राशि अगले निर्धारण वर्ष के दौरान वापस जोडी गई परन्तु निर्धारिती ने (i) प्रत्येक वर्ष में अधिक कटौती का लाभ उठाया (ii) कर के उद्ग्रहण तथा भुगतान को आस्थगित किया (iii) धारा 220 (2) के अन्तर्गत ब्याज भुगतान छूट का लाभ उठाया।	2.99
इस्पात क्षेत्र			
3. मै. जिन्दल इण्डिया लिमि. कोलकाता I प्रभार	2004-05 143(3)	342.64 करोड़ रूपये पर मूल्यांकित तैयार माल फैक्टरी से हटाया गया और बेचा गया। मूल्य वर्ष के दौरान बेचे गए माल के "संव्यवहार मूल्य" का द्योतक था। परन्तु निर्धारिती ने फैक्टरी से हटाए गए तैयार माल की कीमत के प्रति केवल 305.48 करोड़ रूपये लेखे में लिए। वर्ष के दौरान बेचे गए माल की बिक्री कीमत के रूप में संव्यवहार मूल्य हिसाब में लेने की चूक के परिणामस्वरूप 37.15 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ। विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ कर दी है।	13.33

तीन समान मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 90 से 92** पर प्रदर्शित हैं

1.5.34 बिक्री कर देयता की गलत अनुमति

बिक्री कर एक व्यापार प्राप्ति तथा सरकारी लेखे में जमा किए जाने के लिए एक देयता है और बिक्री कर की प्राप्ति तथा भुगतान के लिए बिक्री कर का अलग लेखा बनाने से प्राप्ति की प्रकृति नहीं बदलती है।

समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में एक मामला देखने में आया जिसे नीचे तालिका 15 में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 15: बिक्री कर देयता की गलत अनुमति

क्रम सं. निर्धारिती/ प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
इस्पात क्षेत्र			
1. मै. इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमि. कोलकाता I प्रभार	2004-05 143(3)	निर्धारिती ने बिक्री कर के कारण पूर्वाधि व्यय के रूप में लाभ तथा लेखे में 9.09 करोड़ रूपये की राशि डेबिट की और धारा 43 बी के प्रावधानों के अध्यधीन कटौती के रूप में इसका दावा किया। चूंकि निर्धारिती ने बिक्री कर की प्राप्ति तथा भुगतान के अलग लेखे का रखरखाव किया और कारबार की प्राप्ति के रूप में लाभ तथा हानि लेखे में तदनुरूपी राशि का क्रेडिट नहीं किया इसलिए बिक्री कर के कारण पूर्वावधि व्यय के रूप में लाभ तथा हानि लेखे में 9.09 करोड़ रूपये का डेबिट अनियमित था। भुगतान न करने की स्थिति में राशि धारा 43 बी के अन्तर्गत बकाया देयता में शामिल की जानी थी और राशि कर योग्य आय की संगणना में वापस जोडी जानी थी क्योंकि यह लाभ तथा हानि लेखे में डेबिट की गई थी। तथापि आय की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने धारा 43 बी के अन्तर्गत बकाया देयता में यह राशि जोड़ दी परन्तु उसने लाभ तथा हानि लेखे की डेबिट प्रविष्टि को निष्प्रभावी करने के लिए आय में शामिल करने में चूक की। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ।	3.26 (अ)

1.5.35 समामेलन बाद परिसम्पत्तियों की गलत संगणना

लेखापरीक्षा में चार मामलों मे गलतियां देखी गई जहाँ समामेलन (आंबटित किए जाने वाले इक्विटरी शेयरों के प्रदत्त मूल्य की अपेक्षा निर्धारिती कम्पनी द्वारा अधिकार में ली गईं निवल परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का अधिक होने पर) की योजना से प्राप्त लाभ सही प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया परिणामस्वरूप आय तथा 29.87 करोड़ रूपये का कर प्रभाव बच निकला। ऐसे दो मामले नीचे तालिका 16 में दिए गए हैं:

(करोड़ रूपये में)

तालिका 16: समामेलन बाद परिसम्पत्तियों की गलत संगणना

क्रम सं. निर्धारिती/प्रभार का नाम	निर्धारण वर्ष एवं निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
साफ्टवेयर क्षेत्र			
1. मै. क्विंटेग्रा सोल्यूशंस लिमि. चेन्नई III	2003-04 143(3)	मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक अगस्त 2003 द्वारा समामेलन की योजना के अनुसरण में मै. ट्रांसिस टेक्नालाजीज प्रा. लिमि. का जुलाई 2002 से निधारिती के साथ समामेलन हुआ। हस्तान्तरिती कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के समायोजन बाद उपार्जित निवल परिसम्पत्ति मूल्य की अपेक्षा 35.98 करोड़ रूपये का आधिक्य समामेलित कम्पनी के सुनाम के रूप में लेखाबद्ध किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश की शर्तों के अनुसार नियत तारीख से हस्तान्तरिती कम्पनी की परिसम्पत्तियां तथा देयताएं निर्धारिती को हस्तान्तरित हो गईं और इसलिए निर्धारिती के पास धारा 28 (iv) के अन्तर्गत निर्धार्य थीं तथापि उसकी कर देयता पर विचार नहीं किया गया। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप आय का छिपाव हुआ।	15.74
व्यापार क्षेत्र			
2. मै. स्पेन्सर एण्ड कं. लिमि चेन्नई III	2002-03 143(1)	मै. स्पेन्सर इण्डिस्ट्रयल फण्ड लिमिटेड मद्रास, उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 25 अक्तूबर 2002 द्वारा संस्वीकृत समामेलन योजना के अनुसार, निर्धारिती के साथ अप्रैल 2001 से समामेलित हो गई। उक्त योजना के अनुसार परिसम्पत्तियां तथा देयताएं, अधिकार तथा बाध्यताएं निर्धारिती कम्पनी में निहित हो गए और उनके ससंबंधित उचित मूल्य पर दर्ज किए गए। आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधिक्य में निर्धारिती द्वारा अधिकार में ली गई निवल परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य 28.99 करोड़ रूपये संगणित किया गया और उसे सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित किया गया। चूंकि निर्धारिती कम्पनी ने समामेलन की योजना से 28.99 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त किया था इसलिए उसे कारबार आय के रूप में माना जाना और कर को लाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया।	13.28

एक ऐसा ही

मामला **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 93** पर प्रदर्शित है।

1.5.36 उत्पादन तथा बिक्री के छपाव के कारण छूटी आय

लेखापरीक्षा में निर्धारितियों द्वारा उत्पादन, बिक्री तथा प्राप्तियों के छिपाव के दो मामले देखने में आए जैसाकि नीचे उदाहरण दिया गया है:

1.5.36.1 कर्नाटक मैसूर प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए एक कम्पनी **मै. आटोमेटिव एक्सल्स लिमिटेड के** निर्धारण निर्धारिती द्वारा विविरणित आय पर क्रमशः अप्रैल 2003 तथा दिसम्बर 2005 में संक्षिप्त तथा संवीक्षा के बाद पूर्ण किए गए। लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान उसी ग्रुप से संबंधित अन्य कम्पनी [मै. मेरीटर एच वी एस (इण्डिया) लिमिटेड मैसूर में निर्धारित] द्वारा की गई खरीदों के साथ निर्धारिती कम्पनी के कुल पण्यावर्त की तुलना से पता चला कि मै. मेरीटर एच वी एस (इण्डिया) लिमिटेड निर्धारिती कम्पनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों की खरीद और उनका विपणन कर रहा था तथा निर्धारिती कम्पनी से इसके द्वारा की गई खरीद बिक्री से अधिक थीं जैसा कि निर्धारिती कम्पनी के लाभ तथा हानि लेखे में दर्शाया गया। निर्धारिती कम्पनी की बिक्री की अपेक्षा ग्रुप कम्पनी द्वारा की गई खरीदों का आधिक्य निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए क्रमशः 4.72 करोड़ रूपये और 6.59 करोड़ रूपये था जिसका अर्थ यह हुआ कि निर्धारिती कम्पनी ने दो निर्धारण वर्षों के लिए उस सीमा तक बिक्री छिपाईं।

निर्धारिती कम्पनी द्वारा सही बिक्री प्रदर्शित करने में चूक के परिणामस्वरूप कर के कम उद्ग्रहण और अग्रिम कर के कम भुगतान के लिए ब्याज के साथ उतनी राशि तक आय का छिपाव हुआ जो दोनों निर्धारण वर्षों के लिए कुल 5.11 करोड़ रूपये बनते थे।

1.5.36.2 उत्तरांचल हरिद्वार प्रभार में इस्पात क्षेत्र में अनेक कमपनियों के उत्पादन के आधार पर ए सी आई टी हरिद्वार परिमण्डल ने यह पाया कि प्रेरण भट्टियों के मामले में उत्पादन प्रयुक्त कच्ची सामग्री के 92.5% के लगभग होना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जबकि कुछ यूनिटों ने 94 से 95% के बीच उत्पादन दर्शाया है वहीं निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 के लिए **मै. कोटद्वार स्टील लिमि, मै. चारू स्टील लिमिटेड** तथा **मै. अमृत वर्षा उद्योग** की अन्य यूनिटों ने 92.5% से कम उत्पादन दर्शाया है। तथापि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने उत्पादन स्वीकार किया और उत्पादन के पहलू पर ध्यान दिए बिना उसी परिमण्डल में निर्धारण पूरा किया। इस प्रकार परिमण्डल में उत्पादन की समान दर की अविद्यमानता के परिमापस्वरूप उत्पादन की कम गणना हुई और जिससे कम कर प्रभारित हुआ। विभाग द्वारा माने गए मानक उत्पादन के रूप में 92.5% को लेकर उपरोक्त कम्पनियों द्वारा दर्शाया गये कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.83 करोड़ रूपये के कर का कम प्रभार हुआ।

1.5.37 स्त्रोत पर काटे गए कर में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्त्रोत पर काटे गए कर से संबंधित प्रावधानों का 5.02 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले पांच मामलों में सही प्रकार अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे तीन मामले प**रिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 94 से 96** पर प्रदर्शित हैं।

1.5.38 अन्य मामले

लेखापरीक्षा में 10.52 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले आंकडे, गलत दरें अपनाने, ब्याज में चूक करने, धन अवनिर्धारण, आदि जैसी गलतियों की 89 अन्य गलतियां देखी गईं। ऐसा एक मामला नीचे दर्शाया गया हैः

1.5.38.1 धन का अवनिर्धारण

धनकर अधिनियम 1957 के अन्तर्गत जहाँ किसी कम्पनी का निवल धन 15 लाख रूपये से अधिक हो जाता है वहाँ 15 लाख रूपये से अधिक निवल धन की राशि पर एक प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्राह्य किया जाता है। निवल धन का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ अचल सम्पत्तियों, मोटर कारों, ज्वैलरी, विमान, शहरी भूमि तथा लेखा बहियों में दर्ज न किया गया हस्तगत नकदी सहित सभी "परिसम्पत्तियों" के मूल्य से है। बशर्ते कि जहां परिसम्पत्तियों में से कोई माल के रूप में निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त है वहां ऐसी परिसम्पत्ति छोड़ दी जायगी।

कोलकाता I प्रभार में **मै. इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड** ने 108.90 करोड़ रूपये मूल्य पर 31 मार्च 2000 से पूर्व पैडर रोड बम्बई में स्थित शहरी भूमि अधिप्राप्त की और 31 मार्च 2002 को बिना उपयोग के दो वर्षों के लिए औद्योगिक प्रयोजन (स्थाई परिसम्पत्ति के अधीन पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में मानी गई) के लिए इसे रखा गया। धन कर अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत भू सम्पत्ति निर्धारण वर्ष 2002-03 के दौरान धन कर उद्ग्रहण हेतु "परिसम्पत्ति" के रूप में मानी जानी अपेक्षित थी। तथापि कोई धन कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया। चूकि के परिणामस्वरूप 1.09 करोड़ रूपये के धन कर का अनुद्ग्रहण हुआ। निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की कि भूमि निर्धारण वर्ष 2003-04 के दौरान माल में परिवर्तित की गई थी और वह कारबार प्रयोजन हेतु उपयोग की जा रही थी। तथापि लेखापरीक्षा के अनुसार धन कर निर्धारण वर्ष 2002-03 अर्थात परिवर्तन के पूर्व के लिए उद्ग्राह्य होगा और इस तथ्य के कारण भी कि भूमि वाणिज्यिक रूप से विकसित की जा रही थी जैसाकि लेखे की टिप्पणी में उल्लिखित है।

1.5.38.2 ब्याज के कम उद्ग्रहण, आयकर की गलत दर और आंकडे अपनाने में गलती से संबंधित तीन मामले **परिशिष्ट 4 के क्रम संख्या 97 से 99** पर प्रदर्शित हैं।

1.6 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

1.6.1 चयनित क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों, जो सी ए जी की लेखापरीक्षा से पूर्व अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं, के संबंध में कर की प्रभावी दरें निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में क्रमशः 20 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत के रूप में अनुमानित की गई थीं।

1.6.2 चयनित क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों, जो सी ए जी की लेखापरीक्षा के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई थीं, के संबंध में कर की प्रभावी दरें निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में क्रमशः 23 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत के रूप में अनुमानित की गई थीं।

1.6.3 चार चयनित क्षेत्रों में विचाराधीन सभी तीन वर्षों में लाभ दर्शाने वाली तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कम्पनियों ने उन कम्पनियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी दर पर कर अदा किया जिन्होंने तीन वर्षों में से केवल एक या दो में लाभ दर्शाया और सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं।

1.6.4 निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए चार चयनित क्षेत्रों में सभी चयनित कम्पनियों के लिए अधिनियम के सभी प्रावधानों के संबंध में कर व्यय क्रमशः 915.3 करोड़ रूपये, 768.7 करोड़ रूपये तथा 2287.6 करोड़ रूपये था।

1.6.5 निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए चार चयनित क्षेत्रों में सभी चयनित कम्पनियों के लिए अधिनियम के अध्याय VI ए से संबंधित कटौतियों के संबंध में कर व्यय क्रमशः 235.6 करोड़ रूपये, 228.7 करोड़ रूपये तथा 302.7 करोड़ रूपये था।

1.6.6 चार चयनित क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों, जो अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई थीं, के संबंध में विभाग के निर्धारण कर्तव्यों के परिणामस्वरूप इसके द्वारा की गई वृद्धियों में निर्धारण वर्ष 2002-03 में वृद्धियों की अपेक्षा निर्धारण वर्ष 2003-04 के दौरान सुधार हुआ परन्तु निर्धारण वर्ष 2004-05 के दौरान कम हो गईं।

1.6.7 चयनित चार क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों, जो अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गईं थीं, द्वारा स्वैच्छिक अनुपालना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुधार हुआ है। इसके अलावा चयनित क्षेत्रों में स्वैच्छिक अनुपालन उन कम्पनियों, जिन्होंने तीन वर्षों में से केवल एक या दो में लाभ दर्शाया है, की अपेक्षा उन कम्पनियों द्वारा अधिक है जिन्होंने विचाराधीन सभी तीन वर्षों में लाभ दर्शाए हैं और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारिती की गईं।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि कम्पनियों के लाभ प्रतिमानों में विभिन्नताओं/अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारणों पर संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करते समय अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

समापन सम्मेलन में बोर्ड ने सिफारिश स्वीकार कर ली और सूचित किया कि विभाग द्वारा संवीक्षा के लिए मामलों के कम्प्यूटर सहायता चयन (सी ए एस) की नई विधि में इस पहलू पर ध्यान रखे जाने की सम्भावना है।

1.6.8 कम्प्यूटर क्षेत्र के क्षेत्र जहाँ अधिक अनियमितताएं देखीं गई, धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत छूटें, अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियां, प्रावधानों तथा देयताओं की अनुमति और कारबार आय की गणना थे।

1.6.9 अनुषंगियों सहित आटोमोबाइल क्षेत्र के क्षेत्र, जहाँ अधिक अनियमितताएं देखी गईं, मूल्यह्रास तथा हानियों का समंजन, अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना और प्रावधानों तथा देयताओं की अनुमति थे।

1.6.10 इस्पात क्षेत्र के क्षेत्र, जहाँ अधिक अनियमितताएं देखी गईं, अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना, कारबार आय की संगणना और मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की अनुमति थे।

1.6.11 व्यापार क्षेत्र के क्षेत्र जहां अधिक अनियमितताएं देखी गईं, मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की अनुमति और प्रावधानों तथा देयताओं की अनुमति थे।

1.6.12 सभी चार चयनित क्षेत्रों को एक साथ लेकर अधिकतम कर प्रभाव मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन की गलत अनुमति में देखा गया है। इन चूकों के कारण कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास जो वापस जोडे नहीं जा रहे हैं या परिसम्पत्तियों के अनियमित मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास, जो अनुमत किए जा रहे है आदि और पूर्व हानियों के गलत समंजन रहे हैं।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन से संबंधित दावों को पिछले उपलब्ध निर्धारण दस्तावेजों के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए ताकि समंजन की यथार्थता सुनिश्चित की जा सके।

समापन सम्मेलन में बोर्ड ने सिफारिश स्वीकार कर ली और बताया कि इस संबंध में डाटाबेस सृजित करने की सम्भावना की जांच की जाएगी। ऐसा समय आने तक प्रत्यक्ष अभिलेखों के संदर्भ में निर्धारण के समय पर आवश्यक सत्यापन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.6.13 चार चयनित क्षेत्रों के संबंध में देखी गई अनियमितताओं के अन्य क्षेत्र धारा 10ए, 10बी और अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियां जैसे विशेष रूप से कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में 80 एच एच ई, 80 आई ए, 80 आई बी आदि से संबंधित हैं।

- अनेक दृष्टान्त देखे गए थे जहां भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा तथा भारत से बाहर तकनीकी सेवाओं के संबंध में किए जा रहे खर्च धारा 10 ए तथा 10 बी के अन्तर्गत कटौतियों का परिकलन करने के लिए कुल पण्यावर्त से कम किए गए हैं यद्यपि इन्हें केवल निर्यात पण्यावर्त से अलग निकाला जाना चाहिए।
- ऐसे दृष्टान्त भी देखे गए थे जहाँ निर्धारिती एक निर्धारण वर्ष में धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत और बाद के निर्धारण वर्षों में धारा 80 एच एच ई के अन्तर्गत या इसके विपरीत कटौतियों का लाभ उठाने के अपने विकल्पों को परिवर्तित कर रहे थे यद्यपि यह अधिनियम में अनुमत नहीं है।
- ऐसे भी दृष्टान्त देखे गए हैं जहाँ धारा 10ए/10बी के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले उपक्रमों की हानियां उसी निर्धारिती से संबंधित धारा 10ए/10बी के अन्तर्गत न आने वाले उपक्रमों की कर योग्य आय के प्रति समंजित की गई थीं।
- देखा गया दुरूपयोग का अन्य क्षेत्र विशेषकर आटोमाबाइल और अनुषगियों तथा इस्पात क्षेत्र में अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गलत संगणना है।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि सरकार इन मुद्दों पर सुस्पष्ट मार्गनिर्देश जारी करने पर विचार करे ताकि बृहत्तर स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। सरकार को राजस्व हानि की प्रमात्रा को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि विभाग का अन्तरिक नियंत्रण तन्त्र सुदृढ़ किया जाय ताकि बेहतर मानीटरन तथा अभिलेखों को सम्बद्ध, निर्धारिण अधिकारी तथा उच्च गुणता निर्धारणों के बीच समन्वय में सुधार किया जा सके।

समापन सम्मेलन में बोर्ड ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और बताया कि विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा के पुनर्गठन की प्रक्रिया पहले ही जारी थी।